नगर पंचायत टाहलीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत टाहलीवाल के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत टाहलीवाल के प्रधान व सचिव निम्नानुसार थे:-

i) प्रधान

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	प्रधान	1.04.2021 से 22.02.2023
	खाली	-	23.02.2023 से 02.04.2023
2	श्री प्रकाश चंद	प्रधान	03.04.2023 से 31.03.2024

ii) सचिव

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार (अतिरिक्त प्रभार)	नायब तहसीलदार	1.04.2021 से 22.03.2022
	खाली		23.03.2022 से 5.04.2022
2	श्री विपन ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)	नायब तहसीलदार	6.04.2022 से 12.10.2022
	खाली		13.10.2022 से 29.11.2022

3	श्री संदीप कुमार (अतिरिक्त प्रभार)	कार्यकारी अधिकारी	30.11.2022 से 23.01.2023
4	श्रीमती सुरभी नेगी (अतिरिक्त प्रभार)	नायब तहसीलदार	24.01.2023 से 02.03.2023
5	श्रीमती वर्षा चौधरी (अतिरिक्त प्रभार)	कार्यकारी अधिकारी	03.03.2023 से 12.12.2023
6	श्री विजय सिंह	सचिव	13.12.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियामितताओं का सार :-

नगर पंचायत टाहलीवाल के अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियामितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	8.1	अनुदान राशि का व्यय हेतु शेष	137.98
2	8.2	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	680.62
3	8.3, 8.4	अनुदान राशि से अधिक व्यय	4.63
4	8.5	पार्क अनुदान राशि का अन्य कार्यों हेतु व्यय करना	16.40
5	12	मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	3.63
6	15	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कम वसूली	33.75
7	16	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि का दुर्विनियोजन	0.04
8	17	स्क्रैप डीलरों से वसूली न करना	0.79
9	19	अत्याधिक उच्च दरों पर कार्य आबंटन करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान	8.19

10	23	सफाई ठेकेदार श्री अरुण सिंह को अधिक भुगतान	1.58
11	24	अवधि 1.04.21 से 31.03.2022 तक की तुलना में अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण हुई वित्तीय हानि	12.29
12	27, 28	औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर सामान क्रय करना	37.02
13	29 (ख)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अधिक भुगतान	0.90

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या–142 दिनांक 1.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल से गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या 244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के प्रत्युत्तर तैयार करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिए जायेगें। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई भी कार्यवाही नहीं करना अत्यंत चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत के लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्यवाही सुनिश्चित करें, तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन/ निपटारा सम्भव हो सके। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-"क"** पर दिया गया है।

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

नगर पंचायत टाहलीवाल के लेखों अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 12.03.2024 से 30-04-2024 तक टाहलीवाल में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/2021	04/2021
2022-23	07/2022	08/2022
2023-24	07/2023	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत टाहलीवाल के अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹64600 आँका गया । सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 187 दिनांक 29.04.24 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पंजाब नेशनल बैंक शाखा टाहलीवाल के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 274556 दिनांक 29.04.2024 द्वारा निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है| अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट - (क -1)** पर दिया गया है |

4 वित्तीय विवरणियां:-

नगर परिषद/नगर पंचायत अधिनियम -1994 के अंतर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा संख्या 27.4 के अनुसार नगर पंचायत/नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक है । अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 140 दिनांक 1.04.24 द्वारा अनुरोध किया गया था । जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि वित्तीय विवरणियां तैयार कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) तुलन पत्र (Balance Sheet)

(ii) आय-व्यय विवरणी (Income and Expenditure statement)

(iii) नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of Cash Flow)

(iv) प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt and Payment Statement)

(v) लेखों पर टिप्पणी (Notes to accounts)

(vi) वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance indicator)

5 दोहरा लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 दिनांक 7.09.2009 और UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने सभी लेखा खातों को दिनांक 1.04.2009 से दोहरा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनायेगी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान नगर पंचायत द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेख़ा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 141 दिनांक 1.04.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि लेखों का रख-रखाव भविष्य में दोहरा लेखा पद्धति के अनुसार कर लिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा यथा **परिशिष्ट - (ख)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22</u>

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	हस्तांतरित राशि (ग्राम पंचायत नंगल कलां)	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	464652.84	1126246.00	495251.00	639629.81	2725779.65	527735.00	2198044.65
अनुदान	17033197.50	23937430.00	0.00	0.00	40970627.50	29983509.70	10987117.80
योग	**17497850.34**	**25063676.00**	**495251.00**	**639629.81**	**43696407.15**	**30511244.70**	**13185162.45**

वित्तीय वर्ष 2022-23

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	हस्तांतरित राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	2198044.65	849183.00	438161.71	0.00	3485389.36	1668362.00	1817027.36
अनुदान	10987117.80	21465549.00	0.00	0.00	32452666.80	18493360.86	13959305.94
योग	**13185162.45**	**22314732.00**	**438161.71**	**0.00**	**35938056.16**	**20161722.86**	**15776333.30**

वित्तीय वर्ष 2023-24

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	PMAY के अधिक भुगतान की वसूली	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	1817027.36	472505.18	566324	0.00	2855856.54	788892	2066964.54
अनुदान	13959305.94	19379601.00	0.00	45000	33383906.94	19585507	13798399.94
योग	**15776333.30**	**19852106.18**	**566324**	**45000**	**36239763.48**	**20374399**	**15865364.48**

नगर पंचायत टाहलीवाल की दिनांक 31.03.2024 को मुख्य रोकड़ बही के विभिन्न बचत खातों में अन्तिम शेषों का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	2660001200000070	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	3232113.30
2	2660001200000016	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	2950762.00
3	2660001200000061	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	253727.30
4	2660000101109325	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	1478271.00

5	50100129018630	एच० डी० एफ० सी० टाहलीवाल	2497704.38
6	22300110045602	यू० को० बैंक टाहलीवाल	1095786.75
7	22300110067369	यू० को० बैंक टाहलीवाल	10887.75
8	50100331164839	एच० डी० एफ० सी० टाहलीवाल	4346961.00
		योग	**15866213.48**

बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	**15865364.48**
जमा:- अधिक जमा करवाई गई राशि	849
दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष	**15866213.48**

6.1 बचत खाते से प्राप्त आय का विवरण रोकड़ बही में दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 7/22 के दौरान पाया गया कि पी० एन० बी० टाहलीवाल के बचत खाता संख्या 2660001200000016 के अंतर्गत दिनांक 13.07.2022 को ₹55500 का क्रेडिट NEFT IN: KACEH22194394947: Mr. Ghan Sham बैंक द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन उक्त प्रविष्टि का विवरण रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करके माह के अन्त में वास्तविक योग ₹268230 की जगह ₹323730 दर्ज करके ₹55500 अधिक शेष दर्ज किया गया था। उक्त क्रेडिट प्रदान की गई राशि श्री घन श्याम से किस उद्देश्य हेतु प्राप्त की गई थी की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 159 दिनांक 8.04.24 के अतर्गत सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या – 244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि सम्बन्धित प्रविष्टि का इन्द्राज रोकड़ बही में कर दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उक्त क्रेडिट प्रदान की गई राशि के विवरण का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.04.21 से 31.03.24 के दौरान मुख्य रोकड़ बही में आय व व्यय का दैनिक योग दर्ज न करके केवल माह के अन्त में कुल आय व व्यय दर्ज किया गया था। जबकि नियमानुसार रोकड़ बही में आय व व्यय का दैनिक योग उल्लेखित करके अन्तिम शेष दर्ज किया जाना अनिवार्य था, जिसके यह स्पष्ट किया जा सके कि अमुक तिथि को रोकड़ बही का कितना अन्तिम

शेष था। अतः रोकड़ बही में दैनिक योग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोकड़ बही में आय व व्यय का दैनिक योग दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 11/2023 से 03/2024 तक मुख्य रोकड़ बही में दर्ज किए किए गये व्ययों का वाउचर संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं किया गया था। अतः अवधि 11/2023 से 03/2024 तक मुख्य रोकड़ बही में दर्ज किए गये व्ययों का वाउचर संख्या व दिनांक उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व रोकड़ बही में वाउचर संख्या व दिनांक उल्लेखित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 पैंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति:-

नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा यथा **परिशिष्ट - (ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार द्वारा अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक पैंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	1254901	67198	33757	1355856	0	1355856
2022-23	1355856	1171153	48303	2575312	300000	2275312
2023-24	2275312	1168374	66020	3509706	870823	2638883

दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	2660001200000052	पी० एन० बी० टाहलीवाल	333057
2	2660001200000025	पी० एन० बी० टाहलीवाल	2058221
3	2660000101127118	पी० एन० बी० टाहलीवाल	70686
4	2660000401030493	पी० एन० बी० टाहलीवाल	176919
		योग	**₹2638883**

7.1 पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में आय-व्यय का विवरण उल्लेखित न करना :-

(i) नगर पंचायत टाहलीवाल की पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में आय-व्यय का विवरण दर्ज नहीं किया गया था, केवल आरंभिक शेष, माह के दौरान प्राप्त आय, माह के दौरान किया गया व्यय व अन्तिम शेष दर्ज किया गया था। जबकि रोकड़ बही में आय किस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त की गई, ब्याज कब प्राप्त किया गया, किस उद्देश्य हेतु व्यय किया गया, वाउचर संख्या व दिनांक इत्यादि से सम्बन्धित विवरण उल्लेखित नहीं था। रोकड़ बही में केवल माहवार आय-व्यय विवरणी तैयार की गई थी। अतः पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही को विधिवत तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय व व्यय का सम्पूर्ण विवरण पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में नगर पंचायत में कार्यरत्त कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान व अंशदायी पेंशन अंशदान की प्रविष्टियाँ भी दर्ज की गई थी। जबकि नगर पंचायत में कार्यरत्त कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान व अंशदायी पेंशन अंशदान से सम्बन्धित अलग अलग खाते तैयार किए जाने अपेक्षित थे। अतः पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान व अंशदायी पेंशन अंशदान की प्रविष्टियाँ करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान व अंशदायी पेंशन अंशदान से सम्बन्धित अलग अलग खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -139 दिनांक 1.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या – 244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि रोकड़ बही में आय-व्यय का विवरण उल्लेखित कर दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में आय-व्यय का विवरण उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान:-

अंकेक्षण अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है | जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवदेन के **परिशिष्ट – (घ)** पर भी दिया गया है |

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2021-22	17033197.50	23937430	40970627.50	29983509.70	10987117.80
2022-23	10987117.80	21465549	32452666.80	18493360.86	13959305.94
2023-24	13959305.94	19424601	33383906.94	19585507.00	13798399.94

8.1 अनुदानों की ₹137.98 लाख व्यय हेतु शेष:-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट - (घ)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹13798399.94 व्यय हेतु शेष थे| अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करने के कारण जहाँ एक ओर अनुदान राशियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं तथा जनता को भी प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। दिनांक 31.03.2024 तक अनुदानों की शेष राशि को व्यय न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 168 दिनांक 22.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ स्पष्टीकरण देने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदानों की व्यय हेतु शेष राशि का व्यय कर लिया जायेगा। अत: अनुपयुक्त अनुदान की राशि को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए, इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हेतु समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ₹680.62 लाख :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट - (घ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान अनुदान राशि में से क्रमशः ₹29983509.70, ₹18493360.86 व ₹19585507.00 कुल ₹68062377.56 का व्यय किया गया था लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई थी, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया | उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-169 दिनांक 22.02.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 अनुदान राशि से अधिक व्यय ₹360410 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपायुक्त ऊना के पत्र संख्या PLG-UNA(VKVNY-Haroli-2022-23/1180-82 दिनांक 14.10.22 के अंतर्गत निर्माण कार्य "C/O Community Centre W.No-7" हेतु ₹400000 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। लेकिन नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि के विरुद्ध माह 2/24 के दौरान संविदाकार श्री हरदियाल सिंह को ₹760410 का भुगतान किया गया था। फलस्वरूप उक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि से ₹360410 (760410-400000) का अधिक व्यय किया गया था। अनुदान राशि से अधिक व्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-179 दिनांक 24.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदान राशि से अधिक व्यय का समायोजन आगामी अनुदान राशि से कर लिया जायेगा। अतः

प्रत्युत्तर अनुसार अनुदान राशि से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति आगामी वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.4 अनुदान राशि से अधिक व्यय ₹102847 :-

सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अंकेक्षण को अवधि 01.04.21 से 31.03.24 तक प्रदान की गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय किया गया था।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	व्यय की गई राशि	अनुदान राशि से अधिक व्यय की गई राशि
1	2023-24	Maintenance of roads/Diagester Management	813167	0	829094	15927
2 .	2023-24	Other grants	574727	0	661647	86920
		योग	**1387894**	**0**	**1490741**	**102847**

अनुदान राशि से अधिक व्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-188 दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदान राशि से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति आगामी अनुदान राशि से कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार अनुदान राशि से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति आगामी वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करने पर निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

8.5 नगर पंचायत में पार्क बनवाने हेतु प्राप्त अनुदान राशि का अन्य कार्यों हेतु व्यय करना ₹1639781:-

सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अंकेक्षण को अवधि 01.04.21 से 31.03.24 तक प्रदान की गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि पार्क शीर्ष के अंतर्गत व्यय हेतु शेष अनुदान राशि में से वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नविवरणानुसार `1639781 का व्यय किया गया था।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	योग	व्यय की गई राशि	व्यय हेतु शेष राशि
1	2021-22	Park in ULB's	2151639	0	2151639	204027	1947612
2	2022-23	Park in ULB's	1947612	0	1947612	108371	1839241
3	2023-24	Park in ULB's	1839241	0	1839241	1327383	511858
					योग	**1639781**	

सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल में कोई भी पार्क नहीं बनाया गया था। उक्त व्यय की गई अनुदान राशि अन्य कार्यों हेतु व्यय की गई थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-189 दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदान राशि का अन्य कार्यों पर व्यय करने हेतु भविष्य में परिहार किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को अन्य कार्यों हेतु व्यय करना नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को अन्य कार्यों हेतु व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी स्पष्ट किया जाए कि बिना आदेशों के पार्क अनुदान राशि को अन्य कार्यों हेतु व्यय क्यों किया गया। जिन कार्यों हेतु पार्क अनुदान राशि को व्यय किया गया था, उन कार्यों की प्राप्त अनुदान राशि को कहाँ व किस कार्य के विरुद्ध व्यय किया गया था, का विवरण भी अंकेक्षण को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को अपने स्तर पर अन्य कार्यों हेतु व्यय की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को अन्य किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया था, से सम्बन्धित विवरण भी अंकेक्षण में प्रदान नहीं किया गया। अतः उक्त विवरण को प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित विवरण अंकेक्षण में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 सदन द्वारा पारित बजट को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदित न करवाना व सदन द्वारा पारित बजट से अधिक व्यय ₹16906768 :-

कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि प्रस्ताव संख्या 295 दिनांक 30.12.21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, प्रस्ताव संख्या 335 दिनांक 20.04.22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 व प्रस्ताव संख्या 392 दिनांक 12.04.23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत बजट के अनुमानित आय व अनुमानित व्यय को सदन द्वारा निम्नानुसार पारित किया गया था।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**अनुमानित आय**	**अनुमानित व्यय**
1	2021-22	14027000	14019000
2	2022-23	19847500	19747500
3	2023-24	22114500	22014500

लेकिन उक्त सदन द्वारा पारित बजट को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। अतः अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक सदन द्वारा पारित बजट को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) नगर पंचायत टाहलीवाल का वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का सदन द्वारा पारित बजट व वास्तविक व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है|

वर्ष	**सदन द्वारा पारित बजट**	**वास्तविक व्यय**	**सदन द्वारा पारित बजट से अधिक व्यय**
2021-22	14019000	30511244.70	16492244.70
2022-23	19747500	20161722.86	414222.86
योग	**33766500**	**50672967.56**	**16906467.56**

उपरोक्त उल्लेखित सदन द्वारा पारित बजट की राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹16906467.56 का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी | सदन द्वारा पारित बजट से अधिक व्यय की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 170 दिनांक 22.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04. 2024 द्वारा स्पष्ट किया कि सदन द्वारा पारित बजट को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदित करवा दिया जायेगा व सदन द्वारा पारित बजट से अधिक व्यय की गई राशि की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार सदन द्वारा पारित बजट को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदित करवाना व पारित बजट से अधिक व्यय की गई राशि ₹16906467.56 की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 नगर पंचायत टाहलीवाल के तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण:-

नगर पंचायत टाहलीवाल की गत तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	26299511.81	30511244.70
2022-23	23972349.71	20461722.86
2023-24	21697824.18	21245222.00

11 गृहकर :-

(क) <u>दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली न करना:-</u>

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 65 (क) के अनुसार "निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम साढ़े सात प्रतिशत व अधिक से अधिक साढ़े बारह प्रतिशत की दर से गृहकर नगर पालिका अधिरोपित करेगी" लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से गृहकर की वसूली नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा - 65 (क) के अनुसार साढ़े बारह प्रतिशत की दर से गृहकर वसूला जाना अनिवार्य था। अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों

व दुकानदारों से सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 171 दिनांक 22.04.24 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या: 244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि गृहकर सर्वक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है व वित्तीय वर्ष 2024-25 से गृहकर वसूली प्रारम्भ कर दी जाएगी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः नगर पंचायत बनने के लगभग 8: वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा - 65 (क) के अनुसार गृहकर की वसूली न करने का औचित्य किया जाए व गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके| इसके अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या 256 दिनांक 24.02.21 के अंतर्गत व्यवसायिक व इंडस्ट्रियल यूनिटों से 10% की दर से गृहकर लगाने का प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर के रूप में कोई भी राशि की वसूली नहीं की गई है। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी व्यवसायिक व इंडस्ट्रियल यूनिटों से 10% की दर से गृहकर की वसूली न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए अन्यथा गृहकर की समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 66 (i) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा करों व फीस को अधिरोपित न करना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/ फीस को नगर पंचायत अधिरोपित कर सकती है | लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 66 (i) में वर्णित विभिन्न करों /फीस को अधिरोपित नहीं किया गया| अतः अवधि 1.04.2021 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/ फीस को अधिरोपित न करने का औचित्य किया जाए व नगर पंचायत टाहलीवाल की अपने स्त्रोतों की आय की स्थिति दयनीय होने के मध्यनजर रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत टाहलीवाल, नगर पंचायत के सदन द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय - 6 धारा - 66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/ फीस को अधिरोपित करने का प्रस्ताव पारित किया जाना अपेक्षित है, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके | उक्त अनियमितता का प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

के पैरा संख्या 9 (ख) में भी उठाया गया था। लेकिन इसके बाद भी दिनांक 31.03.2024 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से विभिन्न करों / फीस को अधिरोपित नहीं किया गया था।

12 मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना राशि ₹362500 :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – 'ङ'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों के छः टावर स्थापित हैं। जिनसे मोबाइल टावर फीस के रूप में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार ₹362500 वसूली हेतु शेष थी।

क्रम संख्या	**मोबाइल टावर कंपनी का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 तक वसूली हेतु शेष राशि**
1	ए. टी. सी. -1	62500
2	ए. टी. सी. -2	62500
3	रिलायंस कम्युनिकेशन	62500
4	रिलायंस इन्फो कॉम लिमिटेड	62500
5	भारतीय संचार निगम लिमिटेड	62500
6	भारती एयरटेल	50000
	योग	**362500**

उपरोक्त उल्लेखित मोबाइल टावर कम्पनियों से मोबाइल टावर फीस की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 154 दिनांक 8.04.24 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या: 244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि मोबाइल टावर कंपनियों से वसूली शीघ्र अति शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप मोबाइल टावर कम्पनियों से नवीनीकरण/स्थापना शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 शराब शुल्क की वसूली न करना :-

अवधि 01.04.21 से 31.03.24 तक के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई है | अतः सम्बन्धित विभाग से विक्रय किए गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख/ आंकड़े अब एकत्रित कर के अपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० बी० (1) 9 / 94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किये जाने का प्रावधान है | लेकिन नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 01-04-21 से 31-03-24 तक के दौरान विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है | अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/ आंकड़े एकत्रित करके अंकेक्षण को आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किए जाए |

15 घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कम वसूली ₹3374980:-

(i) नगर पंचायत टाहलीवाल के घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के नियम, 2018 की अधिसूचना के नियम (5) (J) व नगर पंचायत टाहलीवाल के प्रस्ताव रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 187 दिनांक 5-07-19 के अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित परिवारों, दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों व औद्योगिक ईकाईयों से घर-घर कूड़ा गीला व सूखा कचरा उठाने हेतु घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की निम्नलिखित दरों पर वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित परिवारों, दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों व औद्योगिक ईकाईयों से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 तक के दौरान राशि ₹3374980 की वसूली नहीं की गई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(क) (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम सं०	शीर्ष	संख्या	प्रति माह दर	मांग		योग	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	परिवार	1000	30	1000x30x12=	360000	360000	**19890**	**1162710**
2	दुकानें	600	60	600x60x12=	432000	432000		
3	ढाबे	14	100	14x100x12=	16800	16800		
4	होटल/ मैरिज पैलेस	5	500	5x500x12=	30000	30000		
5	बैंक	5	500	5x500x12=	30000	30000		
6	स्कूल (सरकारी)	3	50	3x50x12=	1800	1800		
7	स्कूल(निजी)	1	500	1x500x12=	6000	6000		
8	औद्योगिक ईकाईयां	120	200	120x200x12=	288000	288000		
9	हॉस्पिटल	3	500	3x500x12=	18000	18000		
			योग		**1182600**	**1182600**	**19890**	**1162710**

(ख) (वित्तीय वर्ष 2022-23)

क्रम सं०	शीर्ष	संख्या	प्रति माह दर	मांग		योग	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	परिवार	1000	30	1000x30x12=	360000	360000	**122060**	**1060540**
2	दुकानें	600	60	600x60x12=	432000	432000		
3	ढाबे	14	100	14x100x12=	16800	16800		
4	होटल/ मैरिज पैलेस	5	500	5x500x12=	30000	30000		
5	बैंक	5	500	5x500x12=	30000	30000		

6	स्कूल (सरकारी)	3	50	3x50x12=	1800	1800		
7	स्कूल (निजी)	1	500	1x500x12=	6000	6000		
8	फैक्टरी	120	200	120x200x12=	288000	288000		
9	हॉस्पिटल	3	500	3x500x12=	18000	18000		
			योग		**1182600**	**1182600**	**122060**	**1060540**

(ग) (वित्तीय वर्ष 2023-24)

क्रम संख्या	शीर्ष	संख्या	प्रति माह दर	मांग		योग	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	परिवार	1000	30	1000x30x12=	360000	360000	**30870**	**1151730**
2	दुकानें	600	60	600x60x12=	432000	432000		
3	ढाबे	14	100	14x100x12=	16800	16800		
4	होटल/ मैरिज पैलेस	5	500	5x500x12=	30000	30000		
5	बैंक	5	500	5x500x12=	30000	30000		
6	स्कूल (सरकारी)	3	50	3x50x12=	1800	1800		
7	स्कूल (निजी)	1	500	1x500x12=	6000	6000		
8	फैक्टरी	120	200	120x200x12=	288000	288000		
9	हॉस्पिटल	3	500	3x500x12=	18000	18000		
			योग		**1182600**	**1182600**	**30870**	**1151730**

क्रम संख्या (क), (ख) व (ग) का कुल योग (1162710+1060540+1151730)= 3374980

उपरोक्त उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान घर- घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में नाममात्र की वसूली करके शेष राशि ₹3374980 रहना चिन्ता का विषय है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत द्वारा सफाई के ठेके पर तैनात सफाई कर्मचारियों

द्वारा घर-घर कूड़ा संग्रहित किया जा रहा है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान घर- घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में ₹3374980 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित घर- घर कूड़ा संग्रहण प्रभारदाताओं से शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) घर-घर कूड़ा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि का घर-घर कूड़ा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर में आधा-अधूरा इन्द्राज किया गया था। जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि किस परिवार, दुकान, व्यावसायिक संस्थान व औद्योगिक ईकाई का दिनांक 31.03.2024 को कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः घर-घर कूड़ा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर को आधा-अधूरा तैयार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रजिस्टर को विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि का शीर्षवार विवरण (परिवार, दुकान, व्यावसायिक संस्थान व औद्योगिक ईकाई इत्यादि) तैयार नहीं किया गया था। अतः घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि का शीर्षवार विवरण तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अभिलेख विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः उक्त रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 172 दिनांक 22.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04. 2024 द्वारा स्पष्ट किया कि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली शीघ्र अति शीघ्र कर ली जाएगी व सम्बन्धित विवरण तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व वांछित अभिलेख तैयार करके अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि का दुर्विनियोजन ₹3520 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह – वार्ड संख्या -3 द्वारा घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि को नगर पंचायत टाहलीवाल में जमा न करवाकर दुरूपयोग किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार बुक संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	नाम	वार्ड संख्या	राशि
1	11	1	8.07.22	राकेश	3	60
2	11	2	8.07.22	नेहा	3	60
3	11	3	8.07.22	किरण	3	60
4	11	4	8.07.22	गुलशन	3	60
5	11	5	8.07.22	शिवकरण	3	60
6	11	6	8.07.22	सतीश	3	60
7	11	7	8.07.22	रविंदर	3	60
8	11	8	8.07.22	सोनिया	3	60
9	11	9	8.07.22	विजय	3	150
10	11	10	8.07.22	अश्वनी	3	60
11	11	11	8.07.22	कान्ता	3	60
12	11	12	8.07.22	विनोद	3	60
13	11	13	8.07.22	इवान	3	60
14	11	14	8.07.22	सुरेश	3	180
15	11	15	8.07.22	विनोद	3	60
16	11	16	8.07.22	संजय	3	60
17	11	17	8.07.22	संजीव	3	60
18	11	18	8.07.22	सुदेश	3	60

19	11	19	8.07.22	सोदी	3	60
20	11	20	8.07.22	अजय	3	60
21	11	21	8.07.22	शकुन्तला	3	60
22	11	22	8.07.22	पूर्ण	3	60
23	11	23	8.07.22	बबली	3	60
24	11	24	8.07.22	कर्म चंद	3	60
25	11	25	8.07.22	अमरजीत	3	60
26	11	26	8.07.22	कान्ता	3	60
27	11	27	8.07.22	संजीव	3	60
28	11	28	8.07.22	विजय	3	60
29	11	29	8.07.22	नवतेज	3	60
30	11	30	8.07.22	हरीश	3	60
31	11	31	8.07.22	महादेव	3	60
32	11	32	8.07.22	शाम सुन्दर	3	60
33	11	33	8.07.22	शिव	3	60
34	11	34	8.07.22	सतीश	3	60
35	11	35	8.07.22	लीला	3	60
36	11	36	8.07.22	सवरती	3	60
37	11	37	8.07.22	आशा	3	60
38	11	38	8.07.22	रेखा	3	60
39	11	39	8.07.22	मीना	3	60
40	11	40	8.07.22	सुमन	3	60
41	11	41	8.07.22	नीलम	3	60
42	11	42	8.07.22	भोली	3	60
43	11	43	8.07.22	नीलम	3	60
44	11	45	13.07.22	पेट्रोल पंप	3	500
45	11	46	13.07.22	सुरेश कुमार	3	50

46	11	47	13.07.22	चन्द्रमोहन	3	180
					योग	**3520**

उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 173 दिनांक 22.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04. 2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुरूपयोग की गई राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार दुरूपयोग की गई राशि की वसूली सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह अथवा उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 स्क्रैप डीलरों से ₹79000 की वसूली न करना :-

स्क्रैप डीलर पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार तीन नंबर स्क्रैप डीलर पंजीकृत थे व उक्त स्क्रैप डीलरों से ₹500 प्रतिमाह की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्क्रैप डीलरों से वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान कोई भी राशि नहीं वसूली गई थी। जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.03.2024 तक निम्नानुसार ₹79000 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

क्रम संख्या	स्क्रैप डीलर का नाम	अवधि	दर (प्रति माह)	मासों की संख्या	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
1	नरेंदर सिंह	1.04.21 से 31.03.24	500	36	7500	18000	25500	0	25500
2	बाल किशन	1.04.21 से 31.03.24	500	36	7000	18000	25000	0	25000
3	रोशन लाल	1.04.21 से 31.03.24	500	36	10500	18000	28500	0	28500
				योग	**25000**	**54000**	**79000**	**0**	**79000**

उपरोक्त उल्लेखित कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 174 दिनांक 22.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि स्क्रैप डीलरों से

वसूली शीघ्र अति शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित स्क्रैप डीलरों से दिनांक 31.03.24 तक ₹79000 की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली ₹3800 व विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹21000 को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 4.10.2016 के नियम (2) के अंतर्गत विवाह होने के तीस दिनों के भीतर ₹200 व तीस दिन के बाद व नब्बे दिनों के भीतर ₹400 विवाह पंजीकरण शुल्क वसूला जाना अनिवार्य था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.24 तक के दौरान नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा नगर पंचायत निवासियों से विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में देय योग्य शुल्क की जगह कम शुल्क वसूला गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्र० सं०	नाम (सर्व श्री)	विवाह की तिथि	विवाह पंजीकरण की तिथि	जितने दिनों बाद विवाह पंजीकरण करवाया गया	देय विवाह पंजीकरण शुल्क	वसूला गया शुल्क	कम वसूला गया शुल्क
1	अजय कुमार सुपुत्र श्री राम प्रकाश वार्ड संख्या -5	2.05.21	7.06.21	36 दिन	400	200	200
2	सुन्दर मोहन सुपुत्र श्री राज कुमार वार्ड संख्या -3	27.04.21	16.06.21	50 दिन	400	200	200
3	रणजीत सिंह सुपुत्र श्री भाग सिंह वार्ड संख्या -1	2.07.21	21.09.21	81 दिन	400	200	200
4	कर्म सुपुत्र श्री सुभाष चन्द वार्ड संख्या -2	20.11.21	31.12.21	41 दिन	400	200	200
5	दौलत राम सुपुत्र श्री निरंजन सिंह वार्ड संख्या -5	13.12.21	20.01.22	38 दिन	400	200	200

6	नीरज राणा सुपुत्र श्री रमेश चंद वार्ड संख्या -3	29.11.21	24.01.22	56 दिन	400	200	200
7	रविंदर कुमार सुपुत्र श्री देव राज वार्ड संख्या -1	26.11.21	9.02.22	44 दिन	400	200	200
8	अजय कुमार सुपुत्र श्री सोहन लाल वार्ड संख्या -2	25.01.22	10.03.22	44 दिन	400	200	200
9	महेश कुमार सुपुत्र श्री पवन कुमार वार्ड संख्या -4	10.02.22	23.02.22	41 दिन	400	200	200
10	रवि कुमार सुपुत्र श्री भगत राम वार्ड संख्या -6	19.02.22	22.03.22	31 दिन	400	200	200
11	खरैती लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चंद वार्ड संख्या -5	20.02.22	28.03.22	36 दिन	400	200	200
12	रजनीश राणा सुपुत्र श्री प्रकाश चंद वार्ड संख्या -2	19.04.22	13.06.22	55 दिन	400	200	200
13	राजिंदर कुमार सुपुत्र श्री राम पाल वार्ड संख्या- 6	29.09.22	31.10.22	32 दिन	400	200	200
14	सुमन कुमार सुपुत्र श्री सुभाष चंद वार्ड संख्या -3	28.08.22	22.11.22	86 दिन	400	200	200
15	हरपाल सिंह सुपुत्र श्री अवतार सिंह वार्ड संख्या -6	27.09.22	24.11.22	58 दिन	400	200	200

16	भूपिंदर सिंह सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह वार्ड संख्या -6	5.11.22	2.01.23	58 दिन	400	200	200
17	संदीप कुमार सुपुत्र श्री पवन कुमार वार्ड संख्या -4	29.11.22	13.01.23	45 दिन	400	200	200
18	राहुल राणा सुपुत्र श्री लखवीर सिंह वार्ड संख्या -9	2.12.22	13.01.23	42 दिन	400	200	200
19	होशियार सिंह सुपुत्र श्री चमन लाल वार्ड संख्या -4	27.10.22	13.01.23	78 दिन	400	200	200
				योग	**7600**	**3800**	**3800**

अतः उपरोक्त उल्लेखित वसूली योग्य विवाह पंजीकरण शुल्क की जगह ₹3800 कम शुल्क वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम वसूली गई राशि की वसूली सम्बन्धित विवाह पंजीकरण व्यक्तियों अथवा कम वसूली हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) नगर पंचायत सचिव द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.24 तक के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹21000 वसूली गई थी, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवा कर नगर पंचायत के बचत खाते में जमा करवाया गया था। अतः उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-183 दिनांक 25.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी व वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली की

जानी व सम्पूर्ण राशि को सरकारी कोष के सम्बन्धित आय शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विश्लेषण दर से अत्याधिक उच्च दरों पर कार्य आबंटन करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान ₹819047 :-

(i) विश्लेषण दर (Rate Analysis) से अत्याधिक उच्च दरों पर कार्य आबंटन करने के कारण श्री भीष्म कुमार, संविदाकार को ₹83775 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 73 माह 5/2022 के अन्तर्गत श्री भीष्म कुमार सविंदाकार को ₹514755 का भुगतान C/O Nalla from house of Jaswant to peer than ward no. 1 (RD 0.00 TO 0.75) के कार्य हेतु किया गया था। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सविंदाकार को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से अत्याधिक उच्च दरों (absurdly high rate) पर "Providing and laying reinforcement cement concrete pipe NP2 size 900 mm" की मद की दर ₹5000 प्रति चलित मीटर की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण उक्त संविदाकार को ₹83775 का अधिक भुगतान किया गया। उक्त कार्य का अनुमानित प्राकलन मानक दर अनुसूची 2009 के अनुसार तैयार किया गया था। अनुसूची दर 2009 (Schedule rate 2009) के अनुसार उक्त मद की दर व अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण के अनुसार उक्त मद की दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(माप पुस्तिका संख्या 6 पेज संख्या – 5 से 6)

Sr. No	Item no.	Particular	Rate as per Schedule rate 2009	Rate given
1	023605000000	Providing and laying reinforcement cement concrete pipe NP2size 900mm	1580/ R.M.	5000/ R.M.

Rate as per Schedule rate 2020 and as per analysis of rate	Difference	Quantity	Amount
3882.55 say 3883 per running meter	1117 / R.M.	75 / R.M.	83775

यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत टाहलीवाल की नजदीकी नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक रूप कार्य अनुसूची दर 2020 से कम दरों पर करवाए गये है। अतः उक्त मद हेतु अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण उक्त सविंदाकार को उक्त कार्य में ₹83775 का अधिक भुगतान किया गया। उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-126 दिनांक 26.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या - 244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि आन्तरिक जांच उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी। अतः उक्त मद हेतु संविदाकार को अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अत्याधिक दर से भुगतान करने को नियमानुसार तथ्यों सहित उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त मद हेतु श्री भीष्म कुमार, संविदाकार को किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 (ii)विश्लेषण दर से अत्याधिक उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण श्री सुमित कुमार, संविदाकार को ₹164053 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 74 माह 5/2022 के अन्तर्गत श्री सुमित कुमार सविंदाकार को ₹689279 का भुगतान providing and laying interlock pavers at shamshan - ghat ward no. 4 के कार्य हेतु किया गया है। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सविंदाकार को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से अत्याधिक उच्च दरों (absurdly high rate) पर "providing and laying interlock 60mm thick pavers in cement mortar 1:4 की मद की दर ₹1200 प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण उक्त संविदाकार को ₹164053 का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त कार्य का अनुमानित प्राकलन मानक दर अनुसूची 2009 के अनुसार तैयार किया गया था। अनुसूची दर 2009 (Schedule rate 2009) के अनुसार उक्त मद की दर व अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण के अनुसार उक्त मद की दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(माप पुस्तिका संख्या 6 पेज संख्या – 3)

Sr. No	Item no.	Particular	Rate as per Schedule rate 2009	Rate given
1	024904000000	providing and laying interlock 60mm thick pavers in cement mortar 1:4	475/ Sqr. M.	1200/ Sqr. M.

Rate as per Schedule rate 2020 and as per analysis of rate	Difference	Quantity	Amount
774.05 say 774 / Sqr. M.	426 /Sqr. M.	385.1	164052.6

यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत टाहलीवाल की नजदीकी नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक रूप कार्य अनुसूची दर 2020 से कम दरों पर करवाए गये है। अतः उक्त मद हेतु अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अधिक दर पर अविवेकपूर्ण तरीके से भुगतान करने के कारण उक्त सविंदाकार को उक्त कार्य में ₹164053 का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-127 दिनांक 26.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि आन्तरिक जांच उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी। अतः उक्त मद हेतु संविदाकार को अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने को नियमानुसार तथ्यों सहित उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त मद हेतु श्री सुमित कुमार, संविदाकार को किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 (iii) विश्लेषण दर से अत्याधिक उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण श्री राम सहोढ, संविदाकार को ₹234385 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 70 माह 5/2022 व वाउचर संख्या 238 माह 9/2022 के अन्तर्गत श्री राम सहोढ, सविंदाकार को ₹969968 का भुगतान providing and laying

interlock pavers at cremation ground shamshan-ghat ward no. 7 के कार्य हेतु किया गया है। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सविंदाकार को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से अत्याधिक/उच्च दरों (absurdly high rate) पर "providing and laying interlock 60mm thick pavers in cement mortar 1:4" की मद की दर ₹1200 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण उक्त संविदाकार को ₹234385 का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त कार्य का अनुमानित प्राकलन मानक दर अनुसूची 2009 के अनुसार तैयार किया गया था। अनुसूची दर 2009 (Schedule rate 2009) के अनुसार उक्त मद की दर व अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण के अनुसार उक्त मद की दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(माप पुस्तिका संख्या 6पेज संख्या – 7 से 8)

Sr. No	Item no.	Particular	Rate as per Schedule rate 2009	Rate given
1	024904000000	providing and laying interlock 60mm thick pavers in cement mortar 1:4	475/ Sqr. M.	1200/ Sqr. M.

Rate as per Schedule rate 2020 and as per analysis of rate	Difference	Quantity	Amount
774.05 say 774 /Sqr. M.	426 / Sqr. M.	550.2	234385.2

यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत टाहलीवाल की नजदीकी नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक रूप कार्य अनुसूची दर 2020 से कम दरों पर करवाए गये है। उक्त मद हेतु प्रचलित बाजारीय दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण उक्त सविंदाकार को उक्त कार्य में ₹234385 का अधिक भुगतान किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-128 दिनांक 26.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि आन्तरिक जांच उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी। अतः उक्त मद हेतु संविदाकार को अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने को नियमानुसार तथ्यों सहित उचित ठहराया

जाए अन्यथा उक्त मद हेतु श्री राम सहोढ, सविंदाकार को किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 (iv) विश्लेषण दर से अत्याधिक उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण श्री सुमित कुमार, संविदाकार को ₹336834 का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 277 माह 10/2022 के अन्तर्गत श्री सुमित कुमार सविंदाकार को ₹599010 का भुगतान Pavement of street from Goushala ward no. 4 N.P. Tahliwal के कार्य हेतु किया गया है। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सविंदाकार को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से अत्याधिक/उच्च दरों (absurdly high rate) पर "Excavation in earth work and filling in 15cm layers in foundation and plinths including, ramming, watering and consolidating upto a lead of 20mtrs and lift upto a 1.5 mtrs spade work." की मद की दर ₹325 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण उक्त संविदाकार को ₹336834 का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त कार्य का अनुमानित प्राकलन मानक दर अनुसूची 2009 के अनुसार तैयार किया गया था। अनुसूची दर 2009 (Schedule rate 2009) के अनुसार उक्त मद की दर व अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण के अनुसार उक्त मद की दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :- (माप पुस्तिका संख्या 6पेज संख्या – 40 से 42)

Sr. No	Item no.	Particular	Rate as per Schedule rate 2009	Rate given
1	07060000	Excavation in earth work and filling in 15cm layers in foundation and plinths including, ramming, watering and consolidating upto a lead of 20mtrs and lift upto a 1.5 mtrs spade work.	80.35/ Cub. M.	325

Rate as per Schedule rate 2020 and as per analysis of rate	Difference	Quantity	Amount
131.05 say 131 / Cub. M.	194 / Cub. M.	1736.26	336834

यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि नगर पंचायत टाहलीवाल की नजदीकी नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक रूप कार्य अनुसूची दर 2020 से कम दरों पर करवाए गये है। उक्त मद हेतु दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण उक्त सविंदाकार को उक्त कार्य में राशि ₹336834 का अधिक भुगतान किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-148 दिनांक 4.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि आन्तरिक जांच उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से कर ली जाएगी।

अतः उक्त मद हेतु संविदाकार को अनुसूची दर 2020 व दर विश्लेषण से अधिक दर पर भुगतान करने को नियमानुसार तथ्यों सहित उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त मद हेतु श्री सुमित कुमार सविंदाकार को किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 संविदाकारों को अधिक भुगतान ₹38255:-

(i) वास्तविक निष्पादित मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर श्री राम कुमार सहोढ, संविदाकार को अधिक भुगतान ₹17328 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राम कुमार सहोढ, संविदाकार को निम्न विवरणानुसार निर्माण/ मुरम्मत कार्य में वास्तविक निष्पादित मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर ₹17328 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

कार्य का नाम :- Interlocking pavement of crimination ground shamshanghat of ward no. 7

संविदाकार का नाम :- राम कुमार सहोढ

माप पुस्तिका संख्या :- 6 पेज संख्या -6 से 8

आबंटन पत्र संख्या:- NPT/works/2022-23 दिनांक 16.04.2022

बिल:- प्रथम व अंतिम

मद सं०	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अधिक दर्ज की गई मात्रा	दर	अधिक एवं गल्त भुगतान
1	P/L heavy duty pre-cast cement concrete interlocking pavers blocks 60mm thick cement motor 1:4	550.20m2 Less:- deduction Kilan bricks = 14.44 m2 = 535.76m2	550.20 m2	14.44 m2	1200/ m2	17328

उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-117 दिनांक 21.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि संविदाकारों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत में वास्तविक निष्पादित मात्रा की जगह अधिक मात्रा दर्शाकर किए गये अधिक भुगतान ₹17328 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 (ii) गणना में त्रुटि के कारण श्री अरुण सिंह, संविदाकार को अधिक भुगतान ₹20466:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री अरुण सिंह, संविदाकार को निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण/ मुरम्मत कार्य में गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

कार्य का नाम :- C/O C.C. Pavement of street from H/O Raghuvir to Prem Bagga ward no. 4

संविदाकार का नाम:- श्री अरुण सिंह

माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या : 6 पेज संख्या -29 to 31

अवार्ड पत्र संख्या व दिनांक :- NPT/works/ 2022-23/36 दिनांक 16.04.22

वाउचर संख्या/ दिनांक :- 186 दिनांक 6.08.22

मद सं०	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Excavation in earth work and filling in 15 cm layer in foundation and plinth (chownk towards Raghuvir , Surjeet	27.10x(5.10+4.50+ 4.35+3.90)/4 x (0.15+0.10)/2 = 15.12 m2	60.60 m3	45.48 m3	450/ m3	20466

उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-116 दिनांक 21.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि संविदाकारों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्य में गणना में त्रुटि के कारण किए गये अधिक भुगतान ₹20466 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी /कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

20 (iii) निर्माण कार्य में एंगल आयरन के वास्तविक देय रूपांतरण गुणक/कारक (conversion factor) की जगह गल्त दर पर भुगतान करने के कारण श्री सुमित कुमार, संविदाकार अधिक भुगतान ₹461:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री सुमित कुमार, संविदाकार को निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य में एंगल आयरन के वास्तविक देय रूपांतरण गुणक/कारक (conversion factor) की जगह अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹461 का अधिक भुगतान किया गया था।

(i) कार्य का नाम :- C/O drainage system near N.P. office ward no. -5

संविदाकार का नाम :- श्री सुमित कुमार

माप पुस्तिका संख्या :- 5 पेज संख्या -98 से 99

आबंटन पत्र संख्या:- NPT/works/2021-22/2/337दिनांक 18.08.2021

बिल:- प्रथम व अंतिम

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	देय रूपांतरण गुणक/ कारक (conversion factor)	दिया गया रूपांतरण गुणक/ कारक (conversion factor)	अंतर	अधिक मात्रा	दर	अधिक एवं गलत भुगतान
1	4	Steel work builded in built up section L50x50x6	7.20 mtr	4.10/ mtr	4.70/ mtr	0.60/ mtr	7.20 x.60= 4.32 KG	92	397
		(b) L40x40x5	6.96 mtr	3/ mtr	3.10/ mtr	0.10/ mtr	6.96x.10= 0.696 KG	92	64
						योग	**5.016 KG**		**461**

उपरोक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-118 दिनांक 21.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि संविदाकारों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली जाएगी । अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्य में एंगल आयरन के वास्तविक देय रूपांतरण गुणक/कारक (conversion factor) की जगह उच्चतम दर पर भुगतान करने के कारण किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

21 निर्माण/ मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 156 दिनांक 8.04.24 व अधियाचना संख्या 166 दिनांक 22.04.24 के अंतर्गत निर्माण/मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल से अनुरोध किया गया था। लेकिन निम्नलिखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(i) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन

(ii) निर्माण/मुरम्मत कार्यों का प्राकलन (Estimate)

(iii) तकनीकी स्वीकृति (Technical sanction)

(iv) प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval)

(v) टेंडर फाइलें

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	संविदा कार का नाम	कुल किया गया कार्य	भुगतान की गई राशि	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या
1	10	19.4.21	Yard flooring in Goushala Ward NO. 4	श्री अरुण सिंह	151529	133300	05 पेज संख्या 89 से 90
2	186	6.08.22	C/O retaining wall near H/O Raghubir to Prem Bagga ward No. 4	श्री अरुण सिंह	630345	551908	06 पेज संख्या 29 से 30
3	शून्य	3.02.24	C/C Pavement of street from H/O Smt. Jeet Kaur towards Palkwah Link road in ward no. -07	श्रीमती सुनीता देवी	382990	329256	07 पेज संख्या 48 से49
4	शून्य	3.02.24	C/O retaining wall near H/O Smt. Meena Kumari towards H/O Desh Raj in Ward No. -02	श्री यशपाल शर्मा	365260	319012	07 पेज संख्या 46 से 47
5	शून्य	3.02.24	C/O street (C.C. Pavement) from H/O Sh. Krishan Towards H/O Prem in Ward no. -04	श्री अरुण कुमार	182195.80	160277	07 पेज संख्या 37 से 38

6	शून्य	3.02.24	C/O street (C.C. Pavement) from H/O Sh. Prem Towards H/O Gurdev in Ward no. -04	श्री अश्वनी कुमार	200957	176781	07 पेज संख्या 35 से 36
7	शून्य	3.02.24	C/O street from H/O Sh. Dharmender towards Nestle Boundary wall in ward no. -02	श्री अरुण कुमार	180840.90	155471	07 पेज संख्या 29 से 30
				योग	**2094117.70**	**1826005**	

उपरोक्त उल्लेखित निर्माण /मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण /मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण /मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक नगर पंचायत टाहलीवाल में निष्पादित किए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यो का विवरण अंकेक्षण को प्रदान नहीं किया गया। अतः उक्त अवधि के दौरान निष्पादित किए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यो का विवरण प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक नगर पंचायत टाहलीवाल में निष्पादित किए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यो का विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त उक्त अवधि के निर्माण/मुरम्मत कार्यों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पुनः प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-185 दिनांक 26.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि निर्माण / मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 संविदाकारों को अग्रिम प्रदान की गई राशि का समायोजन न करना ₹1000000 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों को निर्माण कार्यों के विरुद्ध अग्रिम प्रदान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	संविदाकार का नाम	कार्य का नाम	अग्रिम प्रदान की गई राशि
1	303/ 20.09.23	श्री सुमित कुमार	(i) Toilet and bathroom in Mohala Panyari ward no. -04 (ii) Costruction of boundary wall and renovation of community ball near jal shakti office ward no. -3	500000
2	304/ 20.09.23	श्री राम सहोड़े	(i) Boundary wall in Mohala panyari ward no. -4 (ii) Consturction of interlocking pavement street and under ground drainage of H/O Baldev to Sukhdev ward no. 5	500000
			योग	**1000000**

उपरोक्त उल्लेखित संविदाकारों को अग्रिम प्रदान की गई राशि का समायोजन न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-176 दिनांक 22.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों को अग्रिम प्रदान की गई राशि का समायोजन सम्बन्धित संविदाकारों के निर्माण कार्यों के बिलों से कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित अग्रिमों का समायोजन संविदाकारों से निर्माण कार्यों के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपलना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों के विरुद्ध संविदाकारों को अग्रिम किन नियमों के अंतर्गत किया प्रदान किया गया था, से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 सफाई ठेकेदार श्री अरुण सिंह को ₹157500 का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल में श्री अरुण सिंह, सफाई ठेकेदार से अवधि 1.07.2023 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत कार्यालय की सफाई हेतु एक सफाई कर्मचारी ठेके

पर लिया गया था व उसी अवधि हेतु सनराइज एजुकेशन सोसाईटी नंगल रोड ऊना से नगर पंचायत कार्यालय की सफाई हेतु एक सफाई कर्मचारी श्रीमती मीना कुमारी ठेके पर ली गई थी। नगर पंचायत के कार्यालय की सफाई हेतु दो अलग-अलग संस्थाओं से सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गये थे। नगर पंचायत टाहलीवाल कार्यालय की वास्तव में सफाई का कार्य श्रीमती मीना कुमारी द्वारा किया जा रहा है जिसकी पुष्टि हाजिरी रजिस्टर से की गई। फलस्वरूप श्री अरुण सिंह सफाई ठेकेदार को कार्यालय की सफाई हेतु एक सफाई कर्मचारी के रूप में अवधि 1.07.2023 से 31.03.2024 तक 9 माह हेतु ₹157500 (17500x9x1) का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ था। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-184 दिनांक 26.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अरुण कुमार ठेकेदार से अधिक भुगतान हेतु पत्राचार किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः एक कार्य हेतु दो संस्थाओं से कर्मचारी ठेके पर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 अवधि 1.04.21 से 31.03.2022 तक की तुलना में अवधि 1.04.22 से 31.03.2024 तक अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर पंचायत को ₹1228500 की वित्तीय हानि:-

सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 1.04.2021 से 31.03.2022 तक के दौरान वार्ड संख्या 1 से 7 में घर –घर कूड़ा एकत्रित करने व वार्डों की सफाई हेतु 12 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान वार्ड संख्या 1 से 7 में घर – घर कूड़ा एकत्रित करने व वार्डों की सफाई हेतु हेतु 15 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। जिन पर अवधि 1.04.2022 से 30.06.2023 तक 15 माह हेतु व्यय ₹3780000 (252000x15) किया गया, अवधि 01.07.2023 से 31.03.2024 तक 9 माह हेतु व्यय ₹2362500 (262500x9) किया। अवधि 1.04.2021 से 31-03-2022 तक की तुलना में अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान 3 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर पंचायत को 1.04.2022 से 30.06.2023 ₹756000 (3780000/15x3) व अवधि 01.07.2023 से 31.03.2024 तक ₹472500 (2362500/15x3) कुल ₹1228500 (756000+472500) की वित्तीय हानि हुई थी। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि उपरोक्त अवधि में नगर पंचायत के क्षेत्रफल में कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी। उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना

संख्या-181 दिनांक 24.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि वित्तीय हानि की संस्था स्तर पर जांच करने उपरान्त वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अत्याधिक मात्रा में सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण हुई वित्तीय हानि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा वित्तीय हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 1.04.2021 से 31.03.2022 तक सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹138240 के चालान प्रस्तुत न करना:-

अवधि 1.04.2021 से 31.03.2022 तक नगर पंचायत टाहलीवाल के विभिन्न वार्डों में सफाई का ठेका श्री अरुण सिंह व मै० बॉबी दादरी को आबंटित किया गया था। नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार की गई विभागीय न्यायोचिता व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नियमावली में विहित प्रावधान अनुसार सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12% की दर से जमा करवाकर मूल चालान कार्यालय में जमा करवाने उपरांत ही सफाई ठेकेदारों को प्रति माह भुगतान किया जाना अनिवार्य था। ताकि सफाई कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान जमा करवाने की वास्तविकता कि पुष्टि सम्भव हो सके। अवधि 1.04.2021 से 31.12.2021 तक के दौरान नगर पंचायत टाहलीवाल में सफाई ठेकेदार श्री अरुण सिंह व अवधि 1.04.2021 से 31.03.2022 तक सफाई ठेकेदार मै० बॉबी दादरी द्वारा सफाई पर रखे सभी सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान ₹138240 (59400+78840) जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर, सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि संभव न हो सकी, कि सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹138240 वास्तविक रूप में सम्बंधित कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया है अथवा नहीं। अवधि 1.04.2021 से 31.03.2022 तक के दौरान सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों की संख्या की दर से कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12% की दर से जमा करवाने योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम एवं पता	ठेका राशि वार्षिक	अवधि	सफाई कर्मचरियों की संख्या	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की दर से वार्षिक देय राशि	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान की राशि 12 % की दर से
1	श्री अरुण सिंह, गांव व डा० नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)	777600 (64800X12)	1.04.21 से 31.12.21	6	300	495000 (6x300x275)	59400
2	मै० बॉबी दादरी लोअर अरनियाला, ऊना (हि० प्र०)	777600 (64800X12)	1.04.21 से 31.03.22	6	300	657000 (6x300x365)	78840
						योग	**138240**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-182 दिनांक 24.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित ठेकेदार से पत्राचार किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान ₹138240 जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर, सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान सम्बन्धित ठेकेदार

द्वारा जमा न करवाने की अवस्था में सम्पूर्ण राशि ₹138240 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से एकमुश्त करने उपरान्त कर्मचारी भविष्य निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

26 सफाई ठेकेदार द्वारा ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों की हाजिरी से सम्बन्धित अभिलेख बिलों के साथ सलंग्न न होना :-

सफाई के ठेके से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि सफाई ठेके के आबंटन पत्रों की शर्त -9 के अनुसार सफाई ठेकेदार, सफाई के कार्य हेतु ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बन्धित चालान की प्रति व सफाई कर्मचारियों की सत्यापित हजिरियों से सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय में जमा करवाने व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी द्वारा जांच करने उपरान्त ही बिल का भुगतान करेगा। लेकिन अंकेक्षण हेतु चयनित माह 2/24 के सफाई बिल/ वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि सफाई ठेकेदार श्री अरुण सिंह को विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत ₹262500 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम सख्या	**वाउचर संख्या/दिनांक**	**सफाई ठेकेदार का नाम**	**भुगतान की गई राशि**	**टिप्पणी**
1	शून्य / 2.02.24	श्री अरुण सिंह	70000	माह जनवरी/24 में वार्ड संख्या 1 व 2 में 4 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेना
2	शून्य /	श्री अरुण सिंह	70000	माह जनवरी/24 में वार्ड संख्या 3 व 5 में 4 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेना
3	2.02.24	श्री अरुण सिंह	70000	माह जनवरी/24 में वार्ड संख्या 6 व 7 में 4 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेना
4	शून्य /	श्री अरुण सिंह	52500	माह जनवरी/24 में वार्ड संख्या 6 व 7 में 3 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेना
		योग	**₹262500**	

उपरोक्त उल्लेखित बिल/ वाउचरों के साथ सफाई हेतु ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों की हाजरियों से सम्बन्धित अभिलेख सलंग्न नहीं था व न ही उक्त सफाई बिलों को कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित किया गया था। उक्त अभिलेख के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में सफाई के कार्य हेतु रखे गए सभी कर्मचारियों द्वारा माह जनवरी/2024 में सफाई का कार्य किया गया अथवा नहीं। उक्त

प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-186 दिनांक 26.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या-244/NPT दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया जायेगा। अतः माह जनवरी/2024 के बिल/वाउचरों के साथ सफाई कर्मचारियों की हाजरियों से सम्बन्धित अभिलेख के बगैर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सफाई के कार्य हेतु ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों की हाजरियों उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर राशि ₹3201280/- का अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट –'च'** पर उल्लेखित स्थाई सामान के क्रय करने पर ₹3201280 का भुगतान किया गया था। जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएं हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि क्रय समिति द्वारा एक लाख रूपए तक का सामान ही निविदाओं द्वारा क्रय किया जा सकता है। जबकि स्थाई सामान का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया था। अतः एक लाख रूपए से अधिक राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित न करके निविदाएं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) परिशिष्ट-च(i) पर उल्लेखित सामान को क्रय करने से सम्बन्धित मूल आंकलन (Original estimate), बाजारीय दरों का विश्लेषण एवं विभागीय न्यायोचितता (departmental Justificatification) से अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मूल आकलन (Original estimate), बाजारीय दरों का विश्लेषण एवं विभागीय न्यायोचितता (departmental Justificatification) से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) परिशिष्ट-च(i) पर उल्लेखित व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की गई। अतः सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) परिशिष्ट-च(i) पर उल्लेखित क्रय का साईट प्लान व वार्ड के अनुसार जहाँ पर स्टील ट्यूबलर पोलों को स्थापित किया गया था, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) परिशिष्ट-च(i) पर उल्लेखित क्रय किए गये 270 नंबर स्टील ट्यूबलर पोलों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जहाँ लगाया गया था, स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) परिशिष्ट-च(i) पर उल्लेखित 270 नंबर स्टील ट्यूबलर पोलों को नए स्थान पर लगाया गया था अथवा पुराने पोल्स की जगह लगाए गए थे, यदि पुराने पोलों की जगह लगाये गए थे, तब पुराने पोलों का क्या किया गया, से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(vii) परिशिष्ट-च(ii) पर उल्लेखित सामान 1½ साल पहले दिनांक 5.07.2019 व **परिशिष्ट-च(iii)** पर उल्लेखित सामान लगभग तीन साल पहले दिनांक 19.12.2018 को आमंत्रित की गई निविदाओं के आधार पर किया गया था। जोकि अनुचित है, क्योंकि किसी भी निविदा की वैधता अवधि साधारणतया छः माह से अधिक नहीं होती । लेकिन उक्त क्रय से सम्बन्धित निविदा आमंत्रण पत्र, निविदाएं व तुलनात्मक विवरण अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः 1½ साल व तीन साल पहले आमंत्रित की गई निविदाओं के आधार पर क्रय करना तर्कसंगत नहीं है व ऐसा प्रतीत होता है कि चहेती फर्म को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये उक्त सामान का क्रय उच्च दरों पर किया गया था । जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(viii) परिशिष्ट-च(ii) पर उल्लेखित बिल संख्या 361 से 368 दिनांक 17.12.20 व **परिशिष्ट-च(iii)** पर उल्लेखित बिल संख्या 331 व 332 दिनांक 15.04.21 के अन्तर्गत सामान का क्रय एक ही फर्म से एक ही तिथि को किया गया था, जबकि अलग-2 बिल प्राप्त किए गए थे । अतः एक ही फर्म से एक ही तिथि को क्रय सामान हेतु अलग-2 बिल प्राप्त करने से स्पष्ट प्रतीत होता कि निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने से वचने के उद्देश्य से एक ही फर्म से एक ही दिनांक को क्रय करने पर अलग-2 बिल प्राप्त किए गए थे।

(ix) परिशिष्ट-च(ii) व परिशिष्ट-च(iii) के क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लेखित क्रय सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टि व जारी/स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137 व 138 दिनांक 1.04.2024 व अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151 दिनांक 8.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या – 244/NPT दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि अंकेक्षण के निर्देशानुसार भविष्य में अनुपालना कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹501435 सामान का क्रय करना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 8/22 के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत विभिन्न फर्मों/संविदाकारों को **परिशिष्ट- 'छ'** पर उल्लेखित निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹501435 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त **परिशिष्ट- 'छ'- (क)** पर उल्लेखित फर्मों से क्रय किए गये सामान से सम्बन्धित निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि चहेती फर्मों को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए, उक्त फर्मों/संविदाकारों से उच्च दरों पर क्रय किया गया था। अतः उपरोक्त उल्लेखित सामान को क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त **परिशिष्ट- 'छ'- (क) (4)** पर उल्लेखित बिल संख्या -490 से 492 दिनांक 6.08.22 के अन्तर्गत एक ही फर्म से एक ही तिथि को ₹283200 के सामान का क्रय किया गया है, जबकि अलग-2 बिल प्राप्त किए गए थे। अतः एक ही फर्म से एक ही तिथि व एक तरह के सामान हेतु अलग-2 बिल प्राप्त करने से स्पष्ट प्रतीत होता कि निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने से बचने के लिए एक ही फर्म से एक ही दिनांक को क्रय करने पर अलग-2 बिल प्राप्त किए गए थे, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) उपरोक्त **परिशिष्ट- 'छ'- (क) (2)** पर उल्लेखित क्रय किए गये ₹43050 के इन्वर्टर एवं अन्य सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व स्थापित करने से सम्बन्धित प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव के उक्त क्रय किए गये सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त क्रय किए गये इन्वर्टर एवं अन्य सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) उपरोक्त **परिशिष्ट- 'छ'- (ख) (1)** पर उल्लेखित श्री अरुण सिंह ठेकेदार को Cleaning of drains and solid waste हेतु जे० सी० बी० 12 घंटे, ₹680 प्रति घंटा की दर से किराये के रूप में ₹8160 का भुगतान किया गया था। लेकिन बिल/वाउचर में दिनांक व समय उल्लेखित नहीं था, दिनांक व समय उल्लेखित न होने के फलस्वरूप उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः बिल/वाउचर में दिनांक व समय उल्लेखित न होने के बाबजूद श्री अरुण सिंह ठेकेदार को ₹8160 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में जे० सी० बी०किस तिथि को किस समय से किस समय किराये पर ली गई थी। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) उपरोक्त **परिशिष्ट- 'छ'- (ख)** पर उल्लेखित श्री अरुण सिंह ठेकेदार से किराये पर ली गई जे० सी० बी० के भुगतान हेतु उचित बिल प्राप्त न करके लैटर पैड पर किया गया था। अतः उक्त भुगतान हेतु ठेकेदार से उचित बिल प्राप्त न करके लैटर पैड पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित ठेकेदार से बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143 दिनांक 2.04.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या – 244/NPT दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि अंकेक्षण के निर्देशानुसार भविष्य में अनुपालना कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 (क) प्रधानमन्त्री आवास योजना / हाउस फार आल के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना ₹14590050 :-

सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान प्रधानमन्त्री आवास योजना / हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ₹14590050 का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत किए गये भुगतानों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। प्रधानमन्त्री आवास योजना / हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को किए गये भुगतानों को रोकड़ बही में इन्द्राज न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -193 दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रधानमन्त्री मंत्री आवास

योजना के अंतर्गत किए गये व्यय की प्रविष्टियां भविष्य में रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः प्रधानमन्त्री मंत्रीआवास योजना के अंतर्गत किए गये भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रधानमन्त्री मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गये भुगतानों का रोकड़ बही में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाए जाए।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि
1	2022-23	10302550
2	2023-24	4287500
	योग	**14590050**

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹90000 का अधिक भुगतान

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 4/21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु लाभार्थियों को भुगतान की गई अनुदान राशि से सम्बन्धित वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित लाभार्थियों को स्वीकृत अनुदान राशि से ₹90000 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	लाभार्थी का नाम	भुगतान की गई राशि	प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज विस्तृत प्रोजक्ट रिपोर्ट संख्या/ क्रम संख्या	रजिस्टर में दर्ज राशि/ क़िस्त	अधिक भुगतान
1	40/ 23.04.21	स्वरण चन्द सुपुत्र श्री रोशन लाल	45000	ENH 128/118	30000/ अन्तिम किस्त	15000
2	43/ 23.04.21	गफूरदीन सुपुत्र श्री चूहड़ सिंह	45000	ENH 128/05	30000/ अन्तिम किस्त	15000

3	43/ 23.04.21	शुभ लता पत्नी श्री कश्मीर सिंह	90000	ENH 128/98	45000/ दूसरी किस्त	45000
4	44/ 23.04.21	प्रकाशो देवी पत्नी श्री मलकीयत चंद	45000	ENH 128/65	30000/ अन्तिम किस्त	15000
		योग	**225000**		**135000**	**90000**

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -133 दिनांक 01.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित लाभार्थियों से कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित लाभार्थियों अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु जारी की गई अनुदान राशियों ₹5730151 से सम्बन्धित लाभार्थियों की नस्ति फाइलें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

परिशिष्ट- ज (i) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु जारी की गई अनुदान राशियों ₹5730151 से सम्बन्धित लाभार्थियों की नस्ति फाइलें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -134 दिनांक 01.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित लाभार्थियों की नस्ति फाइलें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उक्त फाइलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित नस्ति फाइलों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशि का प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में लाभार्थियों के खातों में इन्द्राज न होना ₹315151:-

परिशिष्ट- ज (ii) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशि ₹315151 का प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में लाभार्थियों के खातों में इन्द्राज नहीं किया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -135 दिनांक 01.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर

पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के भुगतानों की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में कर ली जाएगी। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जारी की गई अनुदान राशि का प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में लाभार्थियों के खातों में इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु जारी की गई अनुदान राशियों से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

(i) परिशिष्ट- ज (iii) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज लाभार्थियों को दिनांक 9.04.21 को जारी की गई अनुदान राशि ₹180000 से सम्बन्धित वाउचर, वाउचर फाइल में मौजूद नहीं थे व न ही सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गये। अतः उपरोक्त उल्लेखित तिथि को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशि की तीसरी क़िस्त से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ii) परिशिष्ट- ज (iv) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज लाभार्थियों को जारी की गई तीसरी क़िस्त की तिथि उल्लेखित नहीं थी। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में विभिन्न लाभार्थियों के खातों में जारी दर्शाई गई अनुदान राशि की तिथि उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) परिशिष्ट- ज (v) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशि की तीसरी क़िस्त को दर्ज न करके चौथी क़िस्त दर्ज करके कुल भुगतान `165000 दर्शाया गया था। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज लाभार्थियों को जारी की गई तीसरी क़िस्त को दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तीसरी क़िस्त के के रूप में कितनी राशि, किस तिथि को जारी की गई थी, से सम्बन्धित विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) परिशिष्ट- ज (vi) पर उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अन्तिम क़िस्त का लेखांकन न करके केवल "पड़ गई है" दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशि की अन्तिम क़िस्त के लेखांकन के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त लाभार्थियों को वास्तव में

अन्तिम क़िस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किस तिथि को किया गया था। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अन्तिम क़िस्त का लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) वाउचर संख्या - 39 दिनांक 23.04.21 के अंतर्गत श्रीमती सलीमा को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ₹45000 का भुगतान यू० को० बैंक खाता संख्या- 7327 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन उक्त जारी की गई अनुदान राशि का इन्द्राज प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में नहीं किया गया था। अतः उक्त जारी की गई अनुदान राशि को प्रधानमन्त्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित प्रविष्टि सम्बन्धित रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संख्या -45 के क्रम संख्या 26 पर दर्ज लाभार्थी श्री केहर सिंह सुपुत्र श्री जीवन सिंह को प्रथम, द्वितीय व तृतीय क़िस्त क्रमशः ₹45000 प्रति क़िस्त की दर से कुल ₹135000 (45000x3) दिनांक 23.04.21 का इन्द्राज किया गया था। लेकिन वाउचर संख्या- 39 दिनांक 23.04.21 को उक्त लाभार्थी को पी० एफ० एम० एस० संख्या C042120823204 दिनांक 23.04.21 के अंतर्गत केवल ₹90000 की अनुदान राशि जारी की गई थी। अतः दिनांक 23.04.21 को जारी की गई अनुदान राशि ₹90000 की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में उक्त लाभार्थी के खाते में ₹135000 की प्रविष्टियाँ दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त लाभार्थी को किस-किस तिथि को कितनी –कितनी राशि जारी की गई थी, से सम्बन्धित विवरण से भी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) अंकेक्षण 1.04.21 से 31.03.24 तक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई अनुदान राशियों से सम्बन्धित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों को आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(viii) प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं किए गए थे। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में पृष्ठ संख्या अंकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रजिस्टर में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित क्रम संख्या (i) से (viii) पर उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -136 दिनांक 01.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24

द्वारा स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जारी की गई भुगतानों में पाई गई अनियमितताओं को निपटाने हेतु संस्था स्तर पर कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित सभी अनियमितताओं का निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 श्रीमती रितु देवी, कर सलाहकार को भुगतान की राशि ₹909002/- पर आवश्यक कटौतियों को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक के दौरान नगर पंचायत द्वारा स्त्रोत पर आयकर, शिक्षा उपकर, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में की गई विभिन्न वैधानिक कटौतियां को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी, कर सलाहकार को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹909002 का भुगतान किया गया था। लेकिन विभिन्न करों के रूप में की गई कटौतियों को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान न तो वाउचर फाइल में मौजूद थे व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गये।उक्त विभिन्न करों कि राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालानों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण राशि के गवन /दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	राशि
1	47	4.05.21	107541
2	48	4.05.21	24266
3	115	9.06.21	6430
4	200	15.07.21	29364
5	326	11.11.21	20091
6	532	5.02.22	2592
7	05	7.04.22	135732
8	06	7.04.22	8744
9	46	7.05.22	1944
10	91	9.06.22	41196
11	111	6.07.22	45762
12	112	6.07.22	35398

13	193	8.08.22	5040
14	224	3.09.22	66216
15	264	1.10.22	62761
16	265	1.10.22	32652
17	353	1.12.22	32713
18	415	2.01.23	10080
19	418	2.01.23	22375
20	448	9.02.23	5040
21	498	7.03.23	5040
22	002	1.04.23	36987
23	72	1.05.23	26704
24	119	1.06.23	6000
25	159	1.07.23	5040
26	211	1.08.23	6960
27	265	1.09.23	27618
28	313	3.10.23	6390
29	314 & 315	3.10.23	40471
30	Nil	1.11.23	6435
31	Nil	1.12.23	32685
32	Nil	2.01.24	6495
33	Nil	3.02.24	6240
		योग	**909002**

विभिन्न करों के रूप में काटी गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालानों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -175 दिनांक 22.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि स्रोत पर आयकर, शिक्षा उपकार, वस्तु एवं सेवा कर को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने से सम्बन्धित चालानों को आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया

जाएगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित स्त्रोत पर आयकर, शिक्षा उपकर, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में की गई विभिन्न वैधानिक कटौतियां को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने से सम्बन्धित चालानों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली श्रीमती रितु देवी, कर सलाहकार अथवा उक्त लापरवाही हेतु जिम्मेदार सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों से व्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

31 ₹2682642 के मूल बिल, वाउचर फाइल में मौजूद न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित माह 2/24 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त भुगतानों के मूल बिल, वाउचर फाइल में मौजूद नहीं थे, केवल बिल/वाउचरों की छाया प्रतिलिपियां ही सलंग्न की गई थी।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतान की गई राशि
1	शून्य	1.02.24	Staff salary for the month of Jan/2024	95275
2	शून्य	1.02.24	Pension and Gratuity share	21380
3	शून्य	1.02.24	Honorarium of elected body	40500
4	शून्य	1.02.24	Part payment of Pay scale arrear of Smt. Sudha Sharma C.O.	50000
5	शून्य	1.02.24	Himalyan Geo technologies Shimla (House tax drone survey and DGPS Survey and 80% field data collection)	180310
6	शून्य	1.02.24	Part payment of Pension and grauity given to Smt. Sudha Sharma C.O.	50000
	शून्य	1.02.24	Sh. Hardiyal Singh, Contractor (Dev. Wroks)	653725
7	शून्य	3.02.24	Smt. Ritu Bala on account of GST (constractors)	6240

8	शून्य	3.02.24	Sunshine Education Society (NGO) on account of salary of Outsource safai kamchari	15497
9	शून्य	3.02.24	Smt. Sunita Devi, Contractor (Dev. Wroks)	329256
10	शून्य	3.02.24	Sh. Yashpal, Contractor (Dev. Wroks)	314012
11	शून्य	3.02.24	Sh. Arun Singh, Contractor (Dev. Wroks)	160277
12	शून्य	3.02.24	Sh. Arun Singh, Contractor (Dev. Wroks)	176781
13	शून्य	3.02.24	Sh. Arun Singh, Contractor (Dev. Wroks)	155471
14	शून्य	3.02.24	Sh. Ashwani Kumar, Contractor (Dev. Wroks)	433918
			योग	**2682642**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -165 दिनांक 22.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित भुगतानों से सम्बन्धित मूल बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त फोटोस्टेट बिल/वाउचरों के मूल बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 बिजली शिकायत रजिस्टर व बिजली की मुरम्मत करवाने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या –शून्य दिनांक 6.02.24 को मै० सुभाष इलेक्ट्रिकल, संविदाकार, गांव व डा० भदौडी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०) को नगर पंचायत टाहलीवाल में स्ट्रीट लाइट मुरम्मत करवाने की एवज में निम्नलिखित विवरणानुसार ₹88200 भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	बिल संख्या/ दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	007/ 28.08.23	29400
2	008/ 30.09.23	29400
3	009/ 15.10.23	29400
	योग	**88200**

नगर पंचायत टाहलीवाल में न तो बिजली शिकायत रजिस्टर तैयार किया गया था व न ही स्ट्रीट लाइट मुरम्मत करवाने से सम्बन्धित अभिलेख नगर पंचायत में मौजूद था, कि कितनी स्ट्रीट लाइटें खराब हुई व कितनी स्ट्रीट लाइट मुरम्मत करवाई गई। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -191 दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि बिजली शिकायत रजिस्टर व बिजली मुरम्मत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उक्त अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

33 नगर पंचायत में गृहकर सर्वेक्षण के भुगतान से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण /प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या –शून्य दिनांक 2.02.24 को हिमालयन जिओ टेक्नोलॉजीज अंकुर भवन कच्चीघाटी, शिमला (हि० प्र०) को नगर पंचायत में गृहकर सर्वेक्षण के कार्य हेतु प्रथम चलित बिल 30% के रूप में ₹202665 का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त गृहकर सर्वेक्षण से सम्बन्धित औपचारिकताएं जैसे कि विज्ञापन, टेंडर, तुलनात्मक विवरण, आबंटन पत्र व कार्य निष्पादन करने से सम्बन्धित रिपोर्ट/विस्तृत विवरण इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव में उक्त फर्म को दर्शाए गये भुगतानों की दरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -190 दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि गृहकर सर्वेक्षण से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 बिल/वाउचर में गलत निर्माण कार्य उल्लेखित करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या शून्य 1.02.24 को श्री हरदियाल सिंह, संविदाकार को निर्माण कार्य " C/O retaining wall near H/O Smt. Meena Kumai towards H/O Desh Raj in ward no. 02, माप पुस्तिका संख्या -7 पेज संख्या 50 से 57 के अंतर्गत ₹760410 का भुगतान किया गया था। लेकिन माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या -7 पेज संख्या 50 से 57 पर निर्माण कार्य "C/O Community Centre W.No-7" की प्रविष्टियाँ दर्ज थी व श्री हरदियाल सिंह, संविदाकार को निर्माण कार्य "C/O Community Centre W.No-7" हेतु ₹760410 का भुगतान किया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -180 दिनांक 24.04.24 के अंतर्गत

सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या- 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि विल / वाउचर में गलत इन्द्राज निर्माण कार्य नाम को संशोधित कर लिया जायेगा। अतः प्रत्युत्तर अनुसार बिल/वाउचर में गलत निर्माण कार्य के नाम को संशोधित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में उक्त बिल के अंतर्गत श्री हरदियाल सिंह, संविदाकार को निर्माण कार्य "C/O Community Centre W.No-7" हेतु ही ₹760410 का भुगतान किया गया था व किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 तहबाजारी व खाद्य लाइसेंस फीस की वसूली न करना :-

प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार प्रस्ताव संख्या 179 दिनांक 25-02-19 के अंतर्गत तहबाजारी की दर ₹20 प्रतिदिन व खाद्य लाइसेंस फीस ₹500 निर्धारित की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक नगर पंचायत क्षेत्र में रेहड़ी फड़ी वालों से तहबाजारी के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केवल ₹5100 की वसूली की गई थी व विभिन्न दुकानदारों से खाद्य लाइसेंस फीस के रूप में कोई भी राशि नहीं वसूली नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों में रेहड़ी फड़ी वालों से तहबाजारी व विभिन्न दुकानदारों से खाद्य लाइसेंस फीस की वसूली न करने के कारण नगर पंचायत को लाखों रूपए की आय की हानि हुई थी। उक्त आय की हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117 दिनांक 22.04.24 द्वारा सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या: 244/NPT दिनांक 29.04.24 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर में दर्ज 5 गली विक्रेताओं में से कुछ विक्रेता छोड़ कर चले गए है। तहबाजारी के रूप में वसूली कर ली जाएगी। खाद्य लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की गई है व आगामी वर्षों में वसूली कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में नगर पंचायत के क्षेत्र की परिधि में केवल 5 गली विक्रेता मौजूद थे, यदि सचिव द्वारा प्रदान किए गये प्रत्युत्तर को ही सही मान लिया जाए, कि केवल 5 गली विक्रेता ही मौजूद थे तब भी उक्त गली विक्रेताओं से तहबाजारी के रूप में अवधि 1.04.21 से 31.03.24 तक तीन वर्षो हेतु ₹109500 (5X20X365x3) की राशि की वसूली जानी अपेक्षित थी। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाबजूद भी नगर पंचायत क्षेत्र में रेहड़ी फड़ी वालों से तहबाजारी व विभिन्न दुकानदारों से खाद्य लाइसेंस फीस की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नगर पंचायत क्षेत्र में रेहड़ी फड़ी वालों से तहबाजारी

व विभिन्न दुकानदारों से खाद्य लाइसेंस फीस की वसूली न करने हुई हानि का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

36 हस्तांतरित आय से सम्बन्धित बैंक खातों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.08.2022 को रोकड़ बही के आय पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल के बचत खाता संख्या 2660001200000016 से ₹639629.81 की राशि नगर पंचायत में समायोजित ग्राम पंचायत नंगल कलां के पुराने बैंक खातों से प्राप्त दर्शाई गई थी। लेकिन जिन बैंक खातों से राशि हस्तांरित की गई थी, उन बैंक खातों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तव में जितनी राशि रोकड़ बही में दर्ज की गई थी, उतनी ही राशि बैंक खातों में शेष थी। यद्यपि कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या -272 दिनांक 17.06.2021 को ग्राम पंचायत नंगल कलां के निम्नानुसार बैंक खातों को नगर पंचायत टाहलीवाल में हस्तांतरित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव भी पारित किया गया था।

क्रम संख्या	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम
1	10220048033293	KCCB Haroli
2	2660000101021179	PNB Tahliwal
3	266000010002939	PNB Tahliwal
4	50053042163	KCCB Tahliwal
5	20048031421423	KCCB Haroli
6	खाता उल्लेखित नहीं	Coop. Agr. Service Society Tahliwal

उक्त खातों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 109 दिनांक 16.03.24 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या -244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित सूचनाएं तैयार करके अंकेक्षण में प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त खातों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त बैंक खातों को अंकेक्षण में प्रतुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 12/21 व 7/22 के दौरान भवन मैपिंग शुल्क के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 12/21 व 7/22 के दौरान भवन मैपिंग शुल्क के रूप में क्रमशः ₹306404 व ₹6572 की राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी। लेकिन उक्त वसूली गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि अंकेक्षण दल द्वारा उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु मौखिक तौर पर बार-बार अनुरोध करने के बाबजूद भी नगर पंचायत द्वारा उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 145 दिनांक 04.04.24 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के पत्र संख्या - 244/NPT दिनांक 29.04.24 द्वारा स्पष्ट किया कि भवन मैपिंग से सम्बन्धित फाइलें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 रजिस्टर तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार रजिस्टर तैयार नहीं किए गया है।।

(i) टेंडर विक्रय रजिस्टर

(ii) अग्रिम धन रजिस्टर (Earnest Money)

(iii) ई० सी० आर० रजिस्टर

(iv) प्रतिभूति रजिस्टर

(v) अनुदान रजिस्टर

(vi) टेलीफोन रजिस्टर

अतः उपरोक्त उल्लेखित रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर तैयार करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

39 शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियों तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय 26198556.81, 22752893.71 व 20463430.18 व व्यय

30511244.70, 20161722.86 व 20374399 किया गया था | लेकिन आय व व्यय की मदवार खाताबहियां तैयार नहीं की गई थी । शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकती, कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई दर्शाई गई वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है| अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए|

40 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 का बजट रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं | अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

41 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करवाना :-

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य था लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 तक किए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया। जो कि एक गम्भीर अनियमितता व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है | अतः अवधि 1-04-21 से 31-03-24 तक के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को सदन से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

42 स्टोर / स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा सहिंता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/ सचिव नगरपालिका/ नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगें और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। जो कि वर्णित प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। अतः

स्टोर/ स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार स्टोर / स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर / स्टॉक की किसी भी दुर्विनिर्योजन /Pileferage की सम्भावना से बचा जा सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

44 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में अत्यन्त चिन्ताजनक है व अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

02 JUL 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष–0177–2626670

का0/ना0
3126-3128

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(5)107 / 2017खण्ड–1 दिनांकः शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 3 सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

02 JUL 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष–0177–2626670

का0/ना0

पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9-09-15 से 31-03-17:-

1)	पैरा – 5.2	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 6	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 7 (क)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 7 (ख)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 9	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 14 (क)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 14 (ख)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 14 (ग)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 24	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1-04-17 से 31-03-19:-

1)	पैरा – 5.2	अनिर्णीत	

2)	पैरा – 5.3	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 6	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 6 (क)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 6 (ख)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 8 (क)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 8 (ख)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 9	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 10	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 13 (1)	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 13 (2)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 15	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 25	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 26 (i)	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 26(ii)	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 26(iii)	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 26(iv)	अनिर्णीत	

29)	पैरा – 26(v)	अनिर्णीत	
30)	पैरा – 26(vi)	अनिर्णीत	
31)	पैरा – 26(vii)	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 26(viii)	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 26(ix)	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 26 (ख)(i)	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 26 (ख)(ii)	अनिर्णीत	
36)	पैरा – 27 (i)	अनिर्णीत	
37)	पैरा – 27 (ii)	अनिर्णीत	
38)	पैरा – 27 (iii)	अनिर्णीत	
39)	पैरा – 27 (iv)	अनिर्णीत	
40)	पैरा – 28	अनिर्णीत	
41)	पैरा – 29	अनिर्णीत	
42)	पैरा – 30	अनिर्णीत	
43)	पैरा – 32	अनिर्णीत	
44)	पैरा – 33	अनिर्णीत	
45)	पैरा – 34	अनिर्णीत	
46)	पैरा – 35	अनिर्णीत	
47)	पैरा – 36	अनिर्णीत	
48)	पैरा – 38	अनिर्णीत	
49)	पैरा – 39	अनिर्णीत	
50)	पैरा – 40	अनिर्णीत	
51)	पैरा – 41	अनिर्णीत	
52)	पैरा – 42	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1-04-19 से 31-03-21 :-

1)	पैरा – 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त

2)	पैरा – 4.2 (क)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 4.2 (ख)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 4.2 (ग)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 4.2 (घ)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 4.2 (ङ)	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 4.2 (च)	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 4.2 (छ)	अनिर्णीत	
9)	पैरा – 4.2 (ज)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 4.2 (झ)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 4.2 (ञ)	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 6.1	निर्णीत	अनुदानों की व्यय हेतु शेष राशि की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 (क) पर उल्लेखित
13)	पैरा – 6.2	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 6.3	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 7 (क)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 7 (ख)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 9 (क)	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 9 (ख)	अनिर्णीत	

19)	पैरा – 10	निर्णीत	मोबाइल टावर शुल्क की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-8.1 पर उल्लेखित
20)	पैरा – 11	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 12	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 13	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 14	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 15 (क)	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 15 (ख)	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 18	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 19	अनिर्णीत	
30)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
31)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 23	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 25	अनिर्णीत	
36)	पैरा – 26	अनिर्णीत	
37)	पैरा – 27	अनिर्णीत	
38)	पैरा – 28	अनिर्णीत	
39)	पैरा – 29 (क)	अनिर्णीत	
40)	पैरा – 29 (ख)	अनिर्णीत	
41)	पैरा – 29 (ग)	अनिर्णीत	
42)	पैरा – 29 (घ)	अनिर्णीत	
43)	पैरा – 29 (ङ)	अनिर्णीत	

44)	पैरा – 30	अनिर्णीत	
45)	पैरा – 31	अनिर्णीत	
46)	पैरा – 32	अनिर्णीत	
47)	पैरा – 33	अनिर्णीत	
48)	पैरा – 34	अनिर्णीत	
49)	पैरा – 35	अनिर्णीत	
50)	पैरा – 36	अनिर्णीत	
51)	पैरा – 37	अनिर्णीत	
52)	पैरा – 38	अनिर्णीत	
53)	पैरा – 39	अनिर्णीत	
54)	पैरा – 40	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	126
वर्तमान में लगाए गए पैरे	40
कुल	166
निर्णीत पैरे	3
शेष अनिर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	163

परिशिष्ट - (क -1)

पैरा संख्या - 3 से संदर्भित

नगर पंचायत टाहलीवाल में अवधि 1-04-2021 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	अवधि	सहायक नियन्त्रक के कार्य दिवस	आर्टिकल सहायक के कार्य दिवस
1	12.03.24 से 16.03.24	5	5
2	18.03.24 से 23.03.24	5	6
3	26.03.24 से 28.03.24	2	3
4	30.03.24	1	1
5	1.04.24 से 6.04.24	6	6
6	8.04.24 से 10.04.24	3	3
7	12.04.24	1	1
8	16.04.24	1	1
9	18.04.24 से 20.04.24	3	3
10	22.04.24 to 27.04.24	6	6
11	29.04.24 to 30.04.24	2	2
	कुल कार्य दिवस	35	37

अंकेक्षण शुल्क:-

(1)	सहायक नियन्त्रक	35 x 1000	35000
(2)	आर्टिकल सहायक	37x 800	29600
		कुल योग =	64600

पैरा संख्या-6 से सम्बन्धित

परिशिष्ट-ख

नगर पंचायत टाहलीवाल की वित्तीय स्थिति (मुख्य रोकड़ बही)

वित्तीय वर्ष 2021-22

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	हस्तांतरित राशि (ग्राम पंचायत नंगल कलां)	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	464652.84	1126246.00	495251.00	639629.81	2725779.65	527735.00	2198044.65
अनुदान	17033197.50	23937430.00	0.00	0.00	40970627.50	29983509.70	10987117.80
योग	**17497850.34**	**25063676.00**	**495251.00**	**639629.81**	**43696407.15**	**30511244.70**	**13185162.45**

वित्तीय वर्ष 2022-23

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	हस्तांतरित राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	2198044.65	849183.00	438161.71	0.00	3485389.36	1668362.00	1817027.36
अनुदान	10987117.80	21465549.00	0.00	0.00	32452666.80	18493360.86	13959305.94
योग	**13185162.45**	**22314732.00**	**438161.71**	**0.00**	**35938056.16**	**20161722.86**	**15776333.30**

वित्तीय वर्ष 2023-24

शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिक भुगतान की वसूली	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	1817027.36	472505.18	566324	0.00	2855856.54	788892.00	2066964.54
अनुदान	13959305.94	19379601.00	0.00	45000.00	33383906.94	19585507.00	13798399.94
योग	**15776333.30**	**19852106.18**	**566324.00**	**45000.00**	**36239763.48**	**20374399.00**	**15865364.48**

69

नगर पंचायत टाहलीवाल की दिनांक 31.03.2024 को मुख्य रोकड़ बही के विभिन्न बचत खातों में अन्तिम शेषों का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	2660001200000070	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	3232113.30
2	2660001200000016	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	2950762.00
3	2660001200000061	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	253727.30
4	2660000101109325	पंजाब नेशनल बैंक टाहलीवाल	1478271.00
5	50100129018630	एच० डी० एफ० सी० टाहलीवाल	2497704.38
6	22300110045602	यू० को० बैंक टाहलीवाल	1095786.75
7	22300110067369	यू० को० बैंक टाहलीवाल	10887.75
8	50100331164839	एच० डी० एफ० सी० टाहलीवाल	4346961.00
		योग	**15866213.48**

Secretary
Nagar Panchyat, Tahliwal
Distt. Una (H.P.)

Bank Reconciliation Statement of main cash book as on 31.03.2024 in r/o NP Tahliwal	
Balance as per cash book	**15865364.48**
Add:- Excess deposited for the month of 3/24	849.00
Balance as per Pass Book	**15866213.48**

पैरा संख्या - 7 से सम्बन्धित

परिशिष्ट - ग

Nagar Panchayat Tahliwal						
Financial Position of Pension and Gratuity Fund for the period 1.04.2021 to 31.03.2024						
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Interest**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2021-22	1254901	67198	33757	1355856	0	1355856
2022-23	1355856	1171153	48303	2575312	300000	2275312
2023-24	2275312	1168374	66020	3509706	870823	2638883

Closing Balance Statement of Pension and Gratuity Funds as on 31.03.2024			
Sr. No.	**Account Number**	**Name of Bank**	**Amount**
1	2660001200000052	PNB Tahliwal	333057
2	2660001200000025	PNB Tahliwal	2058221
3	2660000101127118	PNB Tahliwal	70686
4	2660000401030493	PNB Tahliwal	176919
		Total	**2638883**

...ar Panchayat
...liwal, Tehsil Haroli
... Una (H.P.)

पैरा संख्या - 8.1, 8.2 से सम्बन्धित

Statement of Grant in aid of N.P. Tahliwal for the year 2021-22

Sr No	Head	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Closing Balance
1	State Fianance Commission	2525769.5	8927323	11453092.5	9047251.7	2405840.8
2	14th/15th Finance Commissiner	188573	5558107	5746680	8298080	-2551400
3	NULM	-18522		-18522		-18522
4	Maintance of ULB Roads	1436819		1436819		1436819
5	SBM(IHHL)	2274667		2274667		2274667
6	SBM(IEC)	110293	152000	262293	162250	100043
7	Solid waste	369200		369200		369200
8	Sewerage	1600000		1600000		1600000
9	Lakshaya Scheme	1314947		1314947		1314947
10	PMAY	4008769	9000000	13008769	12271901	736868
11	Deputy Commissiner (MP LAD)	484857	300000	784857		784857
12	Park	2151639		2151639	204027	1947612
13	Parking	7494		7494		7494
14	other Grants	574727		574727		574727
15	Election	3965		3965		3965
	Total	**17033197.5**	**23937430**	**40970627.5**	**29983509.7**	**10987117.8**

Statement of Grant in aid of N.P. Tahliwal for the year 2022-23						
Sr No	**Head**	**Opening Balance**	**Grant Received**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
1	State Fianance Commission	2405840.8	10418297	12824137.8	12415392.86	408744.94
2	14th/15th Finance Commissiner	-2551400	9497252	6945852	5047410	1898442
3	NULM	-18522		-18522		-18522
4	Maintance of ULB Roads	1436819		1436819	623652	813167
5	SBM(IHHL)	2274667		2274667		2274667
6	SBM(IEC)	100043		100043	17400	82643
7	Solid waste	369200		369200		369200
8	Sewerage	1600000		1600000		1600000
9	Lakshaya Scheme	1314947		1314947		1314947
10	PMAY	736868		736868		736868
11	Deputy Commissiner (MP LAD)	784857	1550000	2334857	281135	2053722
12	Park	1947612		1947612	108371	1839241
13	Parking	7494		7494		7494
14	other Grants	574727		574727		574727
15	Election	3965		3965		3965
	Total	**10987117.8**	**21465549**	**32452666.8**	**18493360.86**	**13959305.94**

Secretary
Nagar Panchayat
Tahliwal, Tehsil H...
Distt. Una (H.P.)

Statement of Grant in aid of N.P. Tahliwal for the year 2023-24

Sr No	Head	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Closing Balance
1	State Fianance Commission	408744.94	8736844	9145588.94	9142379	3209.94
2	14th/15th Finance Commissiner	1898442	4193757	6092199	5874380	217819
3	NULM	-18522	0	-18522	0	-18522
4	Maintance of ULB Roads	813167	0	813167	829094	-15927
5	SBM(IHHL)	2274667	0	2274667	121976	2152691
6	SBM(IEC)	82643	299000	381643	251749	129894
7	Solid waste	369200	4000000	4369200	369200	4000000
8	Sewerage	1600000	0	1600000	0	1600000
9	Lakshaya Scheme	1314947	0	1314947	0	1314947
10	PMAY	736868	45000	781868	55500	726368
11	Deputy Commissiner (MP LAD)	2053722	2150000	4203722	952199	3251523
12	Park	1839241	0	1839241	1327383	511858
13	Parking	7494	0	7494	0	7494
14	Other Grants	574727	0	574727	661647	-86920
15	Election	3965	0	3965	0	3965
	Total	**13959305.94**	**19424601**	**33383906.94**	**19585507**	**13798399.94**

Statement of Grant in aid of N.P. Tahliwal for the year 2021-22

Sr. No	Head	Sanctioned Authority	Letter No	Purpose	Opening Balance	Amount received	G.Total	CBP Page no.	Date of credit in bank	Expenditure	balance	Utilization Certificate sent or not
1	State finanace (4th Finance)	Director U.D Shimla H.P	UD-H(C)(10)-1/2021-37896-37959	Release of Grant-in-Aid recommended by the 5th State Finance Commission for the FY 2021-22.		462728	462728	171	31.01.22			
			UD-H(C)(10)-1/2021-SFC -15750-816 dated 16.07.21	Maintance of Assest, delegation of function, honorarium to elected body		8464595	8464595	135	31.08.2021			
				Total	2525769.5	8927323	11453092.5			9047251.7	2405840.80	
2	14th Finance commission 1st instalment	Director U.D Shimla H.P	UD-H(C)(10)-1/2020-14805-834 dated 12.07.21	Tied		3146444		135	31.08.21			
			UD-H(C)(10)-1/2020-38071-38141 dated 18.01.22	Tied		2333809		171	31.01.22			
			UD-H(C)(10)-1/2020-Loose -6825-801 dated 30.04.21	basic grant intrest		4543		101	30.04.21			
			online	basic grant intrest		4543		195	31.03.22			
			UD-H(C)(10)-1/2020-16300- 366 dt 23.04.2021	2nd Installment of Basic Grant under 14th Finance Commission for the year 2019-20 (drawn in FY 2020-21)		32768		101	30.04.21			
			Online			36000		135	31.08.21			
				Total	188573	5558107	5746680			8298080	-2551400	
3	NULM				-18522	0	-18522			0	-18522	
4	Maintanance of Road / Diagester Management	Director U.D Shimla H.P	UD-H(F) Rain danmage -Engg-Cell-20668-709 dt 04-08-2020	Realease of funds under disaster management	1436819		1436819				1436819	
5	SBM(IHHL)			IHHL	2274667	0	2274667			0	2274667	
6	SBM(IEC)	Director U.D Shimla H.P	Online Through PFMS	IEC	110293	152000	262293	107	28.05.21	162250	100043	
7	Solid waste			Solid waste	369200	0	369200			0	369200	
8	Sewerage			Sewerage	1600000	0	1600000			0	1600000	

82

-419-

Statement of Grant in aid of N.P. Tahliwal for the year2022-23												
Sr. No	Head	Sanctioned Authority	Letter No	Purpose	Opening Balance	Amount received	G.Total	CBP Page no.	Date of credit in bank	Expenditure	balance	Utilization Certificate sent or not
1	State finanace (6th Finance)	Director U.D Shimla H.P	UD-H©(10)-1/2022-SFC Awards -25021-25084 dated 5.08.22	Release of Grant-in-Aid recommended by the 6th State Finance Commission for the FY 2021-22.	2405840.8	10418297	12824137.8	261	8.08.22	12415392.86	408744.94	
2	15th Finance commission 1st instalment & 2nd Instalments	Director U.D Shimla H.P	UD-H(C) (110)-1/2020-I-CFC Release 28110-28179 dated-31.08.22	2nd Installment of Basic Grant under 14th Finance Commission for the year 2021-22 (drawn in FY 2022-23)		1555873		227	30.04.22			
			UD-H(C) (10)-1/2020-I-CFC Release -60623-89 dated-2.03.23	1st Installment of Basic Grant under 15th Finance		2423572		327	14.03.23			
			UD-H© (10)-1/2020-I-CFC Release -60560-622 dated-2.03.23	1st Installment of Basic Grant under 15th Finance Commission for the year 2021-22 (drawn in FY 2022-23)		1615715		329	14.03.23			
			UD-H© (10)-1/2020-ICFC Released-42259-42320 dated-14.11.22	basic grant intrest		5146		304	9.11.22			
			UD-H© (10)-1/2020-ICFC Released-43197-258 dated 14.11.22	basic grant intrest		7264		304	9.11.22			
			UD-H©(10)-1/2020-I-CFC Release -28810-28179 dt 31.08.22	2nd Installment of Basic Grant under 14th Finance Commission for the year 2021-22 (drawn in FY 2022-23)		1555873		273	1.09.22			
			UD-H©(10)-1/2020-I-CFC Release -28040-28109 dt 31.08.22	2nd Installment of Basic Grant under 14th Finance Commission for the year 2021-22 (drawn in FY 2022-23)		2333809		273	1.09.22			
				Total	-2551400	9497252	6945852			5047410	1898442	
3	NULM				-18522	0	-18522			0	-18522	

78

(83)

4	**Maintanance of Road / Diagester**			Realease of funds under disaster management	**1436819**		**1436819**			623652	813167	
5	**SBM(IHHL)**			IHHL	**2274667**	**0**	**2274667**			**0**	**2274667**	
6	**SBM(IEC)**			IEC	**100043**	**0**	**100043**			**17400**	**82643**	
7	**Solid waste**			Solid waste	**369200**	**0**	**369200**			**0**	**369200**	
8	**Sewerage**			Sewerage	**1600000**	**0**	**1600000**			**0**	**1600000**	
9	**Lakshya**			Lakshya Scheme	**1314947**	**0**	**1314947**			0	**1314947**	
10	**PMAY**				**736868**	**0**	**736868**			0	**736868**	
11	**MPLAD**	BDO haroli	PLG-UNA(VKVNY-Haroli-2022-23/1180-82 dated 14.10.22	Community Centre W.No-7		**400000**		309	29.12.22			
			DRO/Relief/Una/LB/2022-23-650-52 dated 4.10.22	SDF Repair of pavement for Street from H/o Arjun Singh W.No-06		**350000**		287	15.10.22			
			640/Distt Nazar dt 15-06-2022	C/o Fodder Shed in Goushala		**800000**		243	18.06.22			
				Total	**784857**	**1550000**	**2334857**			**281135**	**2053722**	
12	**Park in ULB,s**			C/o Park	**1947612**	**0**	**1947612**			**108371**	**1839241**	
13	**Parking**				**7494**	**0**	**7494**			**0**	**7494**	
14	**Other Grant**		Through RTGS	Covid -19	**574727**		**574727**			**0**	**574727**	
15	**Election**	Distt Election officer	Panch/Una -11508 dt 07/1/2021	Election expences	**3965**	**0**	**3965**			**0**	**3965**	
				Total	**10987117.8**	**21465549**	**32452666.8**			**18493360.86**	**13959305.94**	

Certified that credit of Grants is checked in cash book as well as in pass book.

80 79

Grant in aid Received for the year 2023-24

Sr. No	Head	Sanctioned Authority	Letter No	Purpose	Opening Balance	Amount received	G.Total	CBP Page no.	Date of credit in bank	Expenditure	balance	Utilization Certificate sent or not
1	State finanace (6th Finance)	Director U.D Shimla H.P	UD-H©(10)-1/2023-SFC Awards -Loose-13931-13993 Dated 31-07-2023	Release of Grant-in-Aid recommended by the 6th State Finance	**408744.94**	**8736844**	**9145588.94**	392	31-07-2023 A/C PNB016& 26-07-2023	**9142379**	**3209.94**	
2	15th Finance commission 1st instalment & 2nd Instalments	Director U.D Shimla H.P	UD-H© (10)-1/2020-I-CFC Release -2420-2490 Dated 10-05-2023	1st Installment of Tied Grant under 15th Finance Commission for the FY 2022-23)		2423572		360	29thApril,23A/C PNB070			
			UD-H© (10)-1/2020-I-CFC Release -2491-2561 Dated 10-05-2023	1st Installment of UN-Tied Grant under 15th Finance Commission for the year 2021-22 (drawn in FY		1615715		362	29thApril,23A/C PNB070			
			UD-H© (10)-1/2020-ICFC Released-1594-1655 Dated 03-05-23	basic Tied grant intrest		3301		348	5th April 23 A/C PNB070			
			UD-H© (10)-1/2020-ICFC Released-1532-93 Dated 03-05-23	basic Untied grant intrest		2200		348	5th April 23 A/C PNB070			
			UD-H(F)-Rain Damage-Emgg.Cell/2013-6498-6519 Dt.30-03-	Release of fund under SDRF/NDRF		148969		43	11-03-2024 A/C PNB016			
				Total	**1898442**	**4193757**	**6092199**			**5874380**	**217819**	
3	NULM				**-18522**	0	**-18522**			**0**	**-18522**	

4	Maintanance of Road / Diagester Management	Director U.D Shimla H.P	UD-H(F) Rain danmage -Engg-Cell-20668-709 dt 04-08-2020	Realease of funds under disaster management	**813167**	0	**813167**			**829094**	**-15927**	
5	SBM(IHHL)			IHHL	**2274667**	0	**2274667**			**121976**	**2152691**	
6	SBM(IEC)	Director U.D Shimla H.P	Online Through PFMS	IEC		100000		9	A/C 21/9/23 HDFC839			
						199000		388	SNA Account HDFC0839 Dt.10-07-23			
					82643	**299000**	**381643**			**251749**	**129894**	
7	Solid waste	Director U.D Shimla H.P	UD-H(F)-(2)-15/15(SWM)-28718-719Dated 06-09-2022	segregation platform shed for equipment and shredder,weighing machine&OWC	**369200**	**4000000**	**4369200**	388	SNA Account HDFC839 Dt.10-07-2023	**369200**	**4000000**	
8	Sewerage			Sewerage	**1600000**	0	**1600000**			**0**	**1600000**	
9	Lakshya			Lakshya Scheme	**1314947**	0	**1314947**				1314947	
10	PMAY	Director U.D Shimla H.P	UD-H(F)-3/18-MIS HFA dt 06.304.2021	PMAY	**736868**	**45000**	**781868**			**55500**	**726368**	
11	MPLAD/ SDP	DC Una	PLG-UNA(SDP-Haroli-2023-24/1095-96 Dated14-11-23	7 no`s works		1650000		29	02-12-23 A/C PNB016			
			DRO/Relief/Una/LB/2022-23-650-52	Community bhawan		500000		40	30-01-2024 PNB A/C 016			
				Total	**2053722**	**2150000**	**4203722**			**952199**	**3251523**	

(85)

82

81

-423-

12	Park in ULB,s			C/o Park	1839241	0	1839241			1327383	511858	
13	Parking				7494	0	7494				7494	
14	Other Grant		Through RTGS	Covid -19	574727	0	574727			661647	-86920	
15	Election	Distt Election officer	Panch/Una -11508 dt 07/1/2021	Election expences	3965	0	3965				3965	
				Total	**13959305.94**	**19424601**	**33383906.94**			**19585507**	**13798399.94**	

Certified that credit of Grants is checked in cash book as well as in pass books.

82

पैरा संख्या - 12 से सम्बन्धित   परिशिष्ट - ड.

नगर पंचायत टाहलीवाल की मोबाइल टावर शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2022 तक वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

(वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम संख्या	मोबाइल टावर कंपनी का नाम	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली	दिनांक 31.03.22 को वसूली हेतु शेष राशि
1	ए. टी. सी. -1	62500	0	62500	0	62500
2	ए. टी. सी. -2	62500	0	62500	0	62500
3	रिलायंस कम्युनिकेशन	62500	0	62500	0	62500
4	रिलायंस इन्फो कॉम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
5	भारतीय संचार निगम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
6	भारती एयरटेल	50000	0	50000	0	50000
	योग	362500	0	362500	0	362500

नगर पंचायत टाहलीवाल की मोबाइल टावर शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2023 तक वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

(वित्तीय वर्ष 2022-23)

क्रम संख्या	मोबाइल टावर कंपनी का नाम	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली	दिनांक 31.03.23 को वसूली हेतु शेष राशि
1	ए. टी. सी. -1	62500	0	62500	0	62500
2	ए. टी. सी. -2	62500	0	62500	0	62500
3	रिलायंस कम्युनिकेशन	62500	0	62500	0	62500
4	रिलायंस इन्फो कॉम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
5	भारतीय संचार निगम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
6	भारती एयरटेल	50000	0	50000	0	50000
	योग	**362500**	0	**362500**	0	**362500**

89

नगर पंचायत टाहलीवाल की मोबाइल टावर शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2024 तक वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

(वित्तीय वर्ष 2023-24)

क्रम संख्या	मोबाइल टावर कंपनी का नाम	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली	दिनांक 31.03.24 को वसूली हेतु शेष राशि
1	ए. टी. सी. -1	62500	0	62500	0	62500
2	ए. टी. सी. -2	62500	0	62500	0	62500
3	रिलायंस कम्युनिकेशन	62500	0	62500	0	62500
4	रिलायंस इन्फो कॉम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
5	भारतीय संचार निगम लिमिटेड	62500	0	62500	0	62500
6	भारती एयरटेल	50000	0	50000	0	50000
	योग	362500	0	362500	0	362500

Secretary
Nagar Panchyat, Tahliwal
Distt. Una (H.P.)

(90)

परिशिष्ट - 'च'

पैरा संख्या – 27 से संदर्भित

अनियमित व्यय ₹3201280 :-

(i) एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट व स्टील ट्यूबलर पोल का अनियमित व्यय ₹2663200 :-

क्र० सं०	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	279/ 20.09.21	NKT/0631/ 21-22/ 7.09.21	एन० के० ट्रेडिंग कंपनी मेन बाजार मैहतपुर	एल०ई० डी० स्ट्रीट लाइट 25 वाट (कर सहित)	200 नंबर	1750	350000
				एल०ई० डी० स्ट्रीट लाइट 45 वाट (कर सहित)	15 नंबर	2320	34800
				एल०ई० डी० स्ट्रीट लाइट 75 वाट (कर सहित)	10 नंबर	4850	48500
						योग	**433300**
2	562/ 8.03.22	270/ 25.01.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव व डा० ईसपुर, जिला ऊना (हि० प्र०)	स्टील ट्यूबलर पोल (8 मीटर लम्बा ब्रैकेट के साथ)	70	7000	490000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	44100
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	44100
						योग	**578200**
	562/ 8.03.22	272/ 1.02.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव व डा० ईसपुर, जिला ऊना (हि० प्र०)	स्टील ट्यूबलर पोल (8 मीटर लम्बा ब्रैकेट के साथ)	100	7000	700000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	63000
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	63000
						योग	**826000**
						कुल योग	**1404200**

						स्रोत पर कर की कटौती 2%	28084
						शिक्षा उपकार	842
						भुगतान की गई राशि	1375274
3	586/ 22.03.22	315/ 5.03.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव व डा० ईसपुर, जिला ऊना (हि० प्र०)	स्टील ट्यूबलर पोल (8 मीटर लम्बा ब्रैकेट के साथ)	100	7000	700000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	63000
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	63000
						योग	**826000**
						स्रोत पर कर की कटौती 2%	16520
						शिक्षा उपकार	496
						भुगतान की गई राशि	808984
क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग (433300+1404200+826000)							2663200

(ii) आर० सी० सी० सोकपिट पाइप एन० पी०- 2 का अनियमित व्यय ₹283200 :-

क्र० सं०	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	27/ 23.04.21	361/ 17.12.20	मै. जय अम्बे स्पन पाइप बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना	आर० सी० सी० सोकपिट पाइप एन० पी०- 2	3	6000	18000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	1620
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	1620
						योग	**21240**
2	28 से 33 23.04.21	362 से 367/ 17.12.20	मै. जय अम्बे स्पन पाइप बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना	आर० सी० सी० सोकपिट पाइप एन० पी०- 2	36	6000	216000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	19440
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	19440
						योग	**254880**

3	34/ 23.04.21	368/ 17.12.20	मै. जय अम्बे स्पन पाइप बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना	आर० सी० सी० सोकपिट पाइप एन० पी०- 2	1	6000	6000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	540
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	540
						योग	**7080**

क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग (21240+254880+7080)= ₹283200

(iii) मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स ढलियारा, जिला काँगड़ा से लोहे के बेंचों का अनियमित व्यय ₹254880:-

क्र० सं०	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	25/ 23.04.21	332/ 15.04.21	मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स ढलियारा, जिला काँगड़ा	कास्ट आयरन बेंच 6' (Cast Iron Bench) (अनारकली डिजाईन)	10	10800	108000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	9720
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	9720
						योग	**127440**
2	26/ 23.04.21	331/ 15.04.21	मै. हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स ढलियारा, जिला काँगड़ा	कास्ट आयरन बेंच 6' (Cast Iron Bench) (अनारकली डिजाईन)	10	10800	108000
						केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	9720
						राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	9720
						योग	**127440**

क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (127440+127440)= ₹254880

क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (2663200+283200+254880)= ₹3201280

परिशिष्ट-'छ'

पैरा संख्या- 28 से संदर्भित

निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹501435 व्यय का विवरण:-

(क) निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹466275 स्थाई सामान के क्रय पर व्यय की गई राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	फार्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान/ कार्य का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	174/ 5.08.22	गौरव इलेक्ट्रिकल्स टाहलीवाल	स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत	1	35000	35000
					वस्तु एवं सेवा कर	6300
					योग	**41300**
2	183/ 6.08.22	गौरव इलेक्ट्रिकल्स टाहलीवाल	इन्वर्टर IMTT1500	2	11328.13	22656.26
			UPS STAR 1050 VA	1	8898.31	8898.31
			STAND	1	889.83	889.83
			1.5 MTR WIRE WITH LABOUR	-	2118.64	2118.64
					योग	34563.04
					वस्तु एवं सेवा कर	8486.97
					कुल योग	**43050.00**
3	184/ 6.08.22	एन० के० ट्रेडिंग कंपनी मैहतपुर (बिल संख्या –	एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट (सभी करों सहित) 25 वाट	20 नंबर	1750	35000

		NKT/0346/22-23 दिनांक 29.06.22)	एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट (सभी करों सहित) 45 वाट	10 नंबर	2320	23200
					योग	58200
	185/ 6.08.22	एन० के० ट्रेडिंग कंपनी मैहतपुर (बिल संख्या – NKT/0394/22-23 दिनांक 14.07.22)	एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट (सभी करों सहित) 45 वाट	10 नंबर	2320	23200
					कुल योग	**81400**
4	190/ 6.08.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव ईसपुर तहसील हरोली, जिला ऊना (बिल संख्या –13 दिनांक 22.04.22)	स्टील लाइट टयूबलर पोल (8 मीटर लंबा ब्रैकेट के साथ)	10	8000	80000
					वस्तु एवं सेवा कर 18%	14400
					योग	94400
	191/ 6.08.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव ईसपुर तहसील हरोली, जिला ऊना (बिल संख्या –14 दिनांक 22.04.22)	स्टील लाइट टयूबलर पोल (8 मीटर लंबा ब्रैकेट के साथ)	10	8000	80000
					वस्तु एवं सेवा कर 18%	14400
					योग	94400
	192/ 6.08.22	कौशल इंडस्ट्रीज गांव ईसपुर तहसील हरोली, जिला ऊना (बिल संख्या –14 दिनांक 22.04.22)	स्टील लाइट टयूबलर पोल (8 मीटर लंबा ब्रैकेट के साथ)	10	8000	80000
					वस्तु एवं सेवा कर 18%	14400
					योग	94400
					कुल योग	**283200**

5	211/ 25.08.22	विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्क्स टाहलीवाल	कप बोर्ड किचन 8.6'x2.6'	22.36 फुट	700 प्रति फुट	15652
			ग्लास डोर	1	1123	1123
			दरवाजा मुरम्मत	1	550	550
					योग	17325
क्रम संख्या (1) से (5) तक का कुल योग (41300+43050+81400+283200+17325)						**466275**

(ख) जे० सी० बी० को किराये पर लेने के कारण किए गये भुगतान ₹35160 का विवरण:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	जितने घंटे किराये पर ली गई	दर प्रति घंटा	राशि
1	5/ 5.04.21	श्री अरुण कुमार	Cleaning of drains and solid waste	12 घंटे	680	8160
2	172/ 5.08.22	श्री अरुण कुमार	Cleaning of drains and clearance of wastage दिनांक 6.07.22 = 10 घंटे दिनांक 7.07.22 = 5 घंटे	15 घंटे	1000 प्रति घंटा	15000
	173/ 5.08.22	श्री अरुण कुमार	Cleaning of drains and clearance of wastage दिनांक 27.06.22 = 5 घंटे दिनांक 28.06.22 = 7 घंटे	12 घंटे	1000 प्रति घंटा	12000
					योग	27000
					कुल योग	**35160**

क्रम संख्या (क) व (ख) का कुल योग (466275 +35160)= 501435

परिशिष्ट-'ज'

पैरा संख्या - 29 से संदर्भित

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु जारी की गई अनुदान राशियों से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की नास्ति फाइलें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	पी० एफ० एम० एस० संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	38	C042120858644	23.04.21	540000	12
2	39	C042120823201	23.04.21	495000	8
3	40	C042120849266	23.04.21	225000	6
4	41	C042120943739	23.04.21	195000	6
5	42	C042108386227	23.04.21	1530000	34
6	43	C042109981431	23.04.21	1440151	32
7	44	C042108695377	23.04.21	1305000	28
			योग	5730151	126

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जारी की गई अनुदान राशि का प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में लाभार्थियों के खातों में इन्द्राज न होने का विवरण :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	लाभार्थी का नाम	पी० एफ० एम० एस० संख्या जिसके अंतर्गत अनुदान राशि हस्तांतरित की गई / दिनांक	हस्तांतरित की गई अनुदान राशि
1	39/ 23.04.21	सोहन लाल सुपुत्र श्री भगत राम	C042120823208/ 23.04.21	45000
2	39/ 23.04.21	सुच्चा सिंह सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह	C042120823203/ 23.04.21	45000
3	40/ 23.04.21	जसपाल सुपुत्र श्री परस राम	C042120849269/ 23.04.21	30000
4	40/	मंगल सिंह व आशा देवी	C042120849270/	30000

	23.04.21		23.04.21	
5	40/ 23.04.21	पवन कुमार सुपुत्र श्री गुरदास राम	C042120849271/ 23.04.21	30000
6	43/ 23.04.21	अनिल कुमार	C042109981438/ 12.04.21	45000
7	43/ 23.04.21	करतार चंद	C042109981442/ 12.04.21	151
8	44/ 23.04.21	दिलबाग चन्द सुपुत्र श्री देस राज	C042108695393/ 09.04.21	45000
9	44/ 23.04.21	सुरजीत सिंह	C042108695400/ 09.04.21	45000
			योग	**315151**

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज लाभार्थियों को दिनांक 9.04.21 को जारी की गई अनुदान राशि से सम्बन्धित वाउचर, वाउचर फाइल में मौजूद नहीं थे व न ही सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण :-

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज प्रोजेक्ट रिपोर्ट संख्या/ क्रम संख्या	प्रथम क़िस्त/ दिनांक	दूसरी क़िस्त /दिनांक	तीसरी क़िस्त / दिनांक	चौथी क़िस्त / दिनांक	कुल अनुदान राशि	जिस क़िस्त का भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
1	बचनी देवी पत्नी श्री मुख्तयार सिंह	128/10	45000/ 23.04.21	45000/ 4.09.21	**45000/ 9.04.21**	30000/ 2.03.22	165000	तीसरी क़िस्त
2	दर्शन सिंह सुपुत्र श्री अजीत सिंह	128/18	45000/ दिनांक उल्लेखित न होना	45000/ 4.09.21	**45000/ 9.04.21**	30000/ 9.12.21	165000	तीसरी क़िस्त

(99)

	कुमार सुपुत्र श्री रमेश चन्द			9.12.21	
3	श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री बनबारी लाल	ENH 128/ 83	तीसरी क़िस्त	30000/ 9.12.21	165000

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में अन्तिम क़िस्त का लेखांकन न करके केवल **"पड़ गई है"** दर्शाने का विवरण:-

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना रजिस्टर में दर्ज विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संख्या/ क्रम संख्या	टिप्पणी
1	जीवन कुमार सुपुत्र श्री प्रीतम चंद	ENH-128/44	चौथी/अन्तिम क़िस्त पड़ गई है।
2	अरशत दीन सुपुत्र श्री मंगत दीन सुपुत्र श्री हुसैन दीन	ENH-128/55	चौथी/अन्तिम क़िस्त पड़ गई है।
3	राज कुमार सुपुत्र श्री राम मूर्ति	ENH-128/69	चौथी/अन्तिम क़िस्त पड़ गई है।